

पत्र सं०-5137 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन /

13211 / 2013-2014

दिनांक-29 / 12 / 2018

कोषाधिकारी,
कोषागार, कानपुर।

इस कार्यालय द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र सं० 1782 दि० 14.09.2018 निरस्त करते

हुए निर्गत

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्रीमती ऊषा शाक्य पत्नी स्व० रामनेरेश शाक्य, दिवंगत, सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अभियन्ता पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6160 01.08.2013
(ग)	जन्मतिथि	06.10.1959
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ऊषा शाक्य
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	16.08.1970
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	01-03-2013
(ख)	तत्कालीन लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 56,060.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	N/A
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	N/A
(छ)	राशिकरण के उपरान्त धटी पेंशन	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	28030 upto 01-03-2023
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,818.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	47 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,47,600.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	N/A
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	N/A
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A
(च)	राशिकरण के बाद धटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	N/A
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	73800 upto 01.03.2023
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 44,280.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में अंगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-5137 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन / 13211 / 2013-2014

तददिनांक

29-12-2018

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप लेखाधिकारी, पनकी ताप विद्युत गृह, पनकी, कानपुर।

2. श्रीमती ऊषा शाक्य पत्नी स्व० रामनेरेश शाक्य, दिवंगत, सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-4 / 1094, अम्बेदकरपुरम, आवास विकास न०-3, कल्याणपुर कानपुर, को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, कानपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशमसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



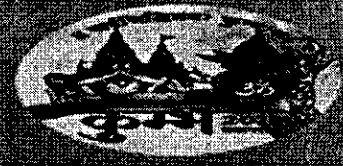
उमप्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उमप्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(An Government Undertaking)

PENSION CASE 022201UP1999SG007-1928



पत्र सं०

6342

89-90

उमप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 29/12/18

कोषाधिकारी, कोषागार
कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

सतेन्द्र नाथ मेहरोत्रा

सेवानिवृत्त

मुख्य
महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6978	दिनांक 16.12.1989
(ग)	जन्मतिथि	21.06.1931	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-06-1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	63000-78000	
(घ)	वेतन	₹	7,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31,023
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85,700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	84402
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	85700
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	85,700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 01.01.16 से 20.06.18 तक 20 % अतिरिक्त	₹	₹ 17400/- दि० 21.06.2016 से ₹ 25710/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा! दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5132

6342

89-90

उमप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप लेखाधिकारी, 14/71 सिविल लाइन, केस्को कानपुर।
2. श्री सतेन्द्र नाथ मेहरोत्रा, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक, पता-15/70 ए सिविल लाइन कानपुर नगर।
3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कानपुर, से सम्पर्क सीपित कर मुगतान करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्रोपाठकालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10520

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 29/12/18

कोषाधिकारी, कोषागार

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री केशव सिंह

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3905	दिनांक 16.01.2007
(ग)	जन्मतिथि		21-06-1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कुसुम सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.10.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवांगत तिथि		30-06-2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	22,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6452
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20898
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) (87750-1755) 2 % दण्ड के पश्चात्	₹	83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6452
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	77148
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5140

10520

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

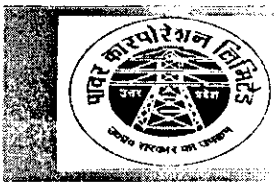
उप मुख्य लेखाधिकारी, केस्को, 14/71, सिविल लाइन, कानपुर।

श्री केशव सिंह, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-एम-53 न्यू सिविल लाइन्स, गुरुदेव, सिनेमा के पीछे विनायकपुर, कानपुर।

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN:U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

116/8

2009-20010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

29/12/18

कोषाधिकारी, कोषागार

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुखदेव प्रसाद

सेवानिवृत्त

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्धता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4554 दिनांक 02-09-2009	
(ग)	जन्मतिथि	01-08-1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गायत्री यादव	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.12.1954	
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-07-2009	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)	
(घ)	वेतन	₹ 62,160	
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31080 से 20.07.2010	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10022	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21058	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18648	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ -	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,61,300	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 80650	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 80650	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10022	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70628	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48390	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5142

116/8

2009-20010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण अण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
2. श्री सुखदेव प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-58ए आरखण्ड, शिवपुर मार्ग निकट जी०एस०एफ०क०मी कूड़ाघाट, गोरखपुर।
3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोरखपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०म०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10916

06-07

दिनांक

29/12/18

कोषाधिकारी,

बदायूँ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निगित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रघुराज सिंह

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

3846

दिनांक

28.11.2006

(ग) जन्मतिथि

06.07.1948

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती आशा सिंह

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.2006

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठों वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

63000-78000

(घ) वेतन

₹

68,850

(ङ) मूल पेंशन

₹

34,425

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

13,770

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

20,655

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

अंकित नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

20,655

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

लागू नहीं

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

15 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,81,800

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

90,900

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

90,900

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

13,770

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

77,130

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

54,540

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

5143

10916 06-07

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बदायूँ

2. श्री रघुराज सिंह, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-672 अपोजिट एस०एस०पी० आवास के सामने, सिविल लाइन्स, बदायूँ

3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बदायूँ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(A Government Undertaking)

पं. रज. PENSION CIN: D32201UP1999SCC024928



पत्र सं०-.....उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

10107/04-05

दिनांक 29/12/2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री ब्रह्म नारायण बसक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2825 18.10.2004
(ग)	जन्मतिथि	16.06.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मंजू श्री बसक
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.05.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 66,510.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5144 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/10107/04-05

तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण त्रिगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।

2. श्री ब्रह्म नारायण बसक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-फ्लैट नं०-402, ब्लॉक नं०-1 राश्री अर्पामेन्ट आशियाना सिद्धगिरी बाग, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9146

02-03

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 31-12-18

कोषाधिकारी,

कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निगित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री आयोध्या तिवारी

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

1919 दिनांक 06-08-2002

(ग) जन्मतिथि

12.01.1944

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

लागू नहीं

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

लागू नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31-01-2002

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पाचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

16400-20000 (37000-67000 (B700))

(घ) वेतन

₹

20,000

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

3040

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

21255/- 05.11.2017 तक तदुपरान्त 24295/-

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

लागू नहीं

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,39,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

69550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

69550

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

3040

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

66510/- 05.11.2017 तक तदुपरान्त 69550/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) दिवंगत तिथि 22.0

₹

लागू नहीं

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 30 वर्ष अतिरिक्त 85 वर्ष पूर्ण 01.07.2013 40 वर्ष 90 वर्ष पूर्ण 01.07.2018

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5158

9146

02-03

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 31-12-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-पश्चिम विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा वाराणसी।

2. श्री आयोध्या तिवारी, सी०ओ० सहायक अभियन्ता, पता 14/158, चोपन रोड, ओबरा सोनभद्र

3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार वाराणसी से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-..... / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन /

7423/1995-96

दिनांक : 31/12/18

कोषाधिकारी,
कोषागार, गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री राम नवल शुक्ल, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	187	28.11.1996
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1938	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सावित्री देवी	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.12.1941	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1996	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400 (37400-67000) GP 10000	
(घ)	वेतन	Rs. 18,900.00	
(ङ)	पूर्व पेंशन	Rs. 27,350.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,187.00 पुनर्स्थापित	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	प्रस्तर-14	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,44,200.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 72,100.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 72,100.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 72,100.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 43,260.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 % दिनांक 01.01.2016 से 80 वर्ष पूर्ण होने	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5160 उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन / 7423/1995-96

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2. श्री राम नवल शुक्ल, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-304, बेतियाहाता (दक्षिणी), पूर्वी आवास योजना गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोरखपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9106

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

1/1/19

कोषाधिकारी,

मीरजापुर।

विषय: कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रंगनाथ यादव

सेवानिवृत्त

सहायक लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1808	दिनांक 30.04.2002
(ग)	जन्मतिथि		10.03.2002
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कमला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.07.1947
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	19,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2,715
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21,580
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14,577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :- ₹ लागू नहीं

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार) 13 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन ₹ 1,35,000

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन ₹ 0

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार ₹ 67,500

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन ₹ लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन ₹ लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन ₹ 67,500

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) ₹ 67,500

(ङ) राशिकृत पेंशन ₹ 2,715

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें ₹ 64785 दिनांक 29.07.2017 तक तदुपरान्त रू० 67500

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) ₹ लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) ₹ 40,500

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) ₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5166

9106 2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम-पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मीरजापुर।

श्री रंग नाथ यादव, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-घुरहू, पही रोड, सिविल लाइन, मीरजापुर।

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार

मीरजापुर

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
रंगनाथ यादव
राशिकृत पेंशन



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6808

91-92

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

01/01/19

कोषाधिकारी,

कोषागार बरेली

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सरस्वती गुप्ता पत्नी स्व० राम प्रसाद

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता/पारिवारिक

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

9098

दिनांक

16.09.1992

(ग) जन्मतिथि

06.11.1937

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती सरस्वती गुप्ता

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

06.11.1937

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.05.1992/31.12.2014

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चौथा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

5900-7100/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)

(घ) वेतन

₹

7,500

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

19,692

(ञ) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

65 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

लागू नहीं

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,48,500

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

44,550

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20.01

₹

8910=00 सम्मन्धी

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5169

6808 91-92

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

अधिसूचना अधिनियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली

श्रीमती सरस्वती गुप्ता पत्नी स्व० राम प्रसाद, मुख्य अभियन्ता, पता-ई-1010 राजेन्द्र नगर, सरस्वती निवास, बरेली (उ०प्र०)

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

बरेली

कोषागार

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3 अधिसूचना अधिनियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8720

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

१०/०१/१९

कोषाधिकारी,

कोषागार, फिरोजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कुँवर चन्द्र अग्रवाल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

1449

दिनांक

15.06.2001

(ग) जन्मतिथि

02.02.1943

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती श्रीदेवी अग्रवाल

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2 (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

28.02.2001

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पॉचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)

(घ) वेतन

₹

20,900

(ङ) मूल पेंशन

₹

27,350

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

3,412

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

23,938

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

16,410

(ञ) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

लागू नहीं

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,53,000

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

76500

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

76,500

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

76,500

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

3,412

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

₹ 73088 दि० 01.01.16 से 14.09.16 तक तदुपरान्त ₹ 76500

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

16,410

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (क) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5170

8720 2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिण-पूर्व विद्युत वितरण विभाग लि०, फिरोजाबाद

श्री कुँवर चन्द्र अग्रवाल, सहायक अभियन्ता, पता-15 गुज्जर कालोनी, मधुसूदन नगर, फिरोजाबाद

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

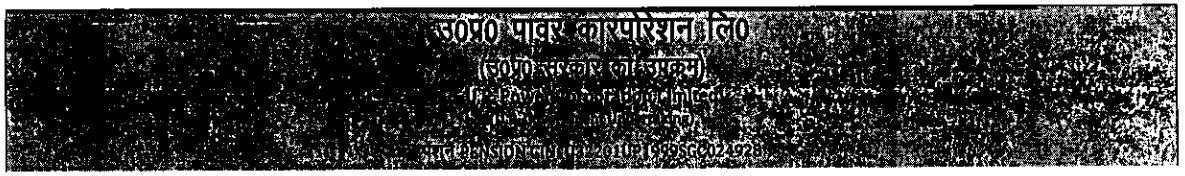
कोषागार

फिरोजाबाद

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०-.....उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

10131/04-05

दिनांक 02/01/2018

कोषाधिकारी,
कोषागार, जालौन।

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत प्राधिकार पत्र सं० 3101 दिनांक 05.10.2018 को निरस्त करते हुये निर्गत।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत स्व० श्रीमती सिया दुलारी पत्नी स्व० छोटे लाल, सेवानिवृत्त/दिवंगत सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3252 24.09.2005
(ग)	जन्मतिथि	07.04.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सिया दुलारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.01.1959
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2004/07.01.2018
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 24,295.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 2,740.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,555.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	62 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 139,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550 dt. 07.01.18 तक
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	Rs. 65,335.00
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	Rs. 65,550.00
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	Rs. 65,550.00
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 65,550 dt. 07.01.18 तक
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 2,740.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 62,810 dt. 07.01.18 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730 dt. 08.01.18 तक
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5174 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10131/04-05

तददिनांक

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, उरई जालौन।

2. श्रीमती सिया दुलारी पत्नी स्व० छोटे लाल, सेवानिवृत्त/दिवंगत सहायक अभियन्ता, पता- मुहल्ला पटेल नगर, तुलसीराम के पास, उरई (जालौन) को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, जालौन से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12421

2011-12

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 02/01/14

कोषाधिकारी,

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजा राम सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिद्वर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5438	दिनांक 14.09.2011
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मुन्नी सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.10.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	लागू नहीं

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5176

12421 2011-12

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी
श्री राजा राम सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, ग्राम डहन, पोस्ट सदैपुर, जनपद गाजीपुर।
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार वाराणसी से सम्पर्क स्थापित कर मुगतान करें।
- अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

03/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० प्रावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० प्रावर कारपोरेशन लि०)

प्रावर कारपोरेशन लि०, पता: प्लाट सं० ३७१, मीरा नगर, कालोनी, पोस्ट कन्दवा वाराणसी।

पता: प्लाट सं० ३७१, मीरा नगर, कालोनी, पोस्ट कन्दवा वाराणसी।



पत्र सं०

9963

2004-2005

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

07/01/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दान बहादुर सिंह

सेवानिवृत्त

वरिष्ठ कार्मिक
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2769 दिनांक	15-09-2004
(ग)	जन्मतिथि		31.07.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विमला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400 (10000)
(घ)	वेतन	₹	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3221
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	24129
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	54 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	63396
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3221
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68879
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5178

9963

2004-2005

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।

श्री दान बहादुर, सेवानिवृत्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पता-प्लाट सं० 371, मीरा नगर, कालोनी, पोस्ट कन्दवा वाराणसी।

2.

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

वाराणसी

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

PENSION GEN-032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11454

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

27/10/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
जौनपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश कुमार सिंह

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4585	दिनांक 16-09-2009
(ग)	जन्मतिथि		06.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती दमयन्ती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.05.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32980/-
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11716
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21264
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,72,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	86100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	86100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11716
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74384
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51660
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5160

11454

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, जौनपुर।

श्री रमेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-640-सी०, बसन्त कुंज कालोनी, पालीटैक्निक चौराहा, उमरपुर, जिला-जौनपुर।

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार जौनपुर

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(A Government Undertaking)

पं० नं० UPNSIO/PAN/13220/UP/1999SGC024928



पत्र सं०

8089

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

02/01/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्र शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

(घ) वेतन

(ङ) मूल पेंशन

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

(ख) निर्धारित वेतन

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5181

8089

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अमियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-58, प्रेम आनन्द कुंज, कमलानगर, आगरा।

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार आगरा।

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अमियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CNF: 032301UP1999SGC02492B



पत्र सं०

11125

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 02/01/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रंगनाथ मिश्र

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3919	दिनांक 02-02-2007
(ग)	जन्मतिथि		04.04.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राजमनी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	7186
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20419
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	7186
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	64464
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5183

11125

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।

श्री रंगनाथ मिश्र, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एस०एच० 15/47/25 शिवनगर कालोनी, शिवपुर, वाराणसी।

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

वाराणसी

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

राज्य-उत्तर प्रदेश, भारत

पैन पेंशन योजना 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11508

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

02/01/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री आनन्द स्वरूप

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

4441

दिनांक

11-05-2009

(ग) जन्मतिथि

02.01.1949

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती इन्द्रावती श्रीवास्तव

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अकित नहीं

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.01.2009

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 (8900)

(घ) वेतन

₹

60,340

(ङ) मूल पेंशन

₹

30170

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

9730

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

20440

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

18102

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,56,600

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

78300

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

78300

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

9730

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

68570

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

46980

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

11508

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।

श्री आनन्द स्वरूप, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-प्लॉट नं०-27, मणिनगर, कालोनी, कन्दवा, वाराणसी-221106।

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12747

2011-12

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 03/01/19

कोषाधिकारी,

आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री किशन गोपाल शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5755	दिनांक 19.07.2012
(ग)	जन्मतिथि		10.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सत्यवती शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.07.1956
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18648
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		31080 दि० 09.01.17 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार) 13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन ₹ 1,61,300 लागू नहीं

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार ₹ 80650

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन ₹ लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन ₹ लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन ₹ लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) ₹ 80650

(ङ) राशिकृत पेंशन ₹ 12432

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें ₹ 68218

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) ₹ 80650 दि० 30.01.19 तक

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) ₹ 48390

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) ₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5193

12747 2011-12

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा

श्री किशन गोपाल शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 70 पुष्प निकेतन, कामायनी अस्पताल के पीछे, सिकन्दरा आगरा

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार आगरा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पात्र कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० कारपोरेशन लि०)

(उ०प्र० कारपोरेशन लि०)

(उ०प्र० कारपोरेशन लि०)

(उ०प्र० कारपोरेशन लि०)



पत्र सं०

9519

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 03-01-19

कोषाधिकारी, कोषागार

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बाल किशन चड्ढा

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2252	दिनांक 10.06.2003
(ग)	जन्मतिथि		04.01.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3014
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21281 upto 09.09.18
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69,550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3014
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66536 से 09.09.18 तक तदपुरान्त रू० 69,550/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5702

9519

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री बाल किशन चड्ढा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एल०-4/206, गुल्मोहर गार्डन, राजनगर विस्तार, गाजियाबाद।

3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद से सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज मेहरोत्रा

रखीकृतकर्ता अधिकारी एवं

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उमोप्रो पावर कारपोरेशन लि०

(संयुक्त सरकार का आदेश)

पिन कोड: २०००००, नया दिल्ली

संयुक्त सरकार, नया दिल्ली

पुनरीक्षण/पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक ०१.०१.२०१६ से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।



पत्र सं०

11224

06/07

उमोप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: ०३/०१/१९

कोषाधिकारी, कोषागार

मोस्वपुर. - अन्तिम

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गंगा राम

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	4056 दिनांक 16.08.2007	
(ग)	जन्मतिथि	13.07.1948	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बहमा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-07-2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे (8900)	
(घ)	वेतन	₹	56,870
(ङ)	मूल पेंशन	₹	28,435
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	7436
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20,999
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		अंकित नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17061
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,47,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	73,800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	73,800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	7436
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66364
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44,280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 01.01.16 से 20.06.16 तक 20 % अतिरिक्त	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5203

11224

06/07

उमोप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।
- 2 श्री गंगा राम, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-358-इंजीनियरिंग कॉलोनी, क्वारसी बाइपास रोड, अलीगढ़।
- 3 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अलीगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमोप्रो/का०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनीष भट्ट
स्वीकृत/अनुमोदित
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10416

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 03.01.19

कोषाधिकारी,

कोषागार, इलाहाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कैलाश प्रसाद वर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3154 दिनांक	13.07.2005
(ग)	जन्मतिथि		10.05.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295 दि० 05.07.16 से
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3295
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21000
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		63 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	66389
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	65550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	66389
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	66389
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3295
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	63094
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

5205

10416 05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, इलाहाबाद
- श्री कैलाश प्रसाद वर्मा, सहाय लेखाधिकारी, पता-41सी/7 तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद-211006
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार इलाहाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

राज्य पंजीकृत संस्था/Registered State Undertaking



पत्र सं०

12285

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

03-01-18

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शेखर मुखर्जी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

5179 दिनांक 23-02-2011

(ग) जन्मतिथि

20-12-1950

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती नन्दिता मुखर्जी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

03-01-1955

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31-12-2010

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000(8900)

(घ) वेतन

64,030

(ङ) मूल पेंशन

32015

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

12806

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

19209

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

19209

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,66,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

83050

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

83050

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

12806

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

70244

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

49830

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5206

12285

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।

श्री शेखर मुखर्जी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-बी-16/38 ए-4, तिलमाण्डेश्वर कालोनी, वाराणसी।

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार,

वाराणसी

से सम्पर्क स्थापित कर मुक़तान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7520

96-97 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-०३/०१/१९

कोषाधिकारी,

कोषागार, शाहजहाँपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती लाली मिश्रा पत्नी स्व० सुरेश चन्द्र सेवानिवृत्त मिश्रा

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता/पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	261 दिनांक 21.04.1997
(ग)	जन्मतिथि	04.07.1938
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती लाली मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.04.1953
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1996/29.07.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4250-5600/14300-18300/37400-6700 ग्रेडपे 8700
(घ)	वेतन	₹ 15,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 4,650
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ लागू नहीं
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36,930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5209

7520 96-97 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, शाहजहाँपुर।

श्रीमती लाली मिश्रा पत्नी सुरेश चन्द्र मिश्रा, सहायक अभियन्ता, पता 81, मो० चौकसी, डा० सूर सैसिडेन्स के पास, शाहजहाँपुर।

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
शाहजहाँपुर

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8245

99-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 03-01-19

कोषाधिकारी, कोषागार

कोषागार, आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सूबेदार यादवेन्दु

सेवानिवृत्त

अधी०अभि०

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1041	दिनांक 14.06.2000
(ग)	जन्मतिथि		16.07.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती मीना यादवेन्दु
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		25.06.1953
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवगु वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	18,650
(ङ)	मूल पेंशन	₹	20620
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20620
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	12645
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित 14.09.15
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5213

8245 99-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा
- श्री सूबेदार यादवेन्दु, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त पता-87 गिराज नगर, लौयर्स कालोनी, आगरा
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार आगरा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

03/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

UOP Power Corporation Limited

(A Public Enterprise of Government of India)

पं० नं० २३/२००९/२२०१७/२१९९९९००२१९२६



पत्र सं०

11575

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

23-01-19

कोषाधिकारी, कोषागार

मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दिवाकर गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधिशाली

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4910	दिनांक 28-05-2010
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मीना गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		26.09.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	62,780
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31390
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11154
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20236
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18834
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,62,300
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11154
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	69996
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5214

11575

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

श्री दिवाकर गुप्ता, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-सी-92, वैशाली कालोनी, गढ़ रोड, मेरठ-250004।

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

मेरठ

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

PENSIONARY NO-132701081999506024926



पत्र सं०

12782

2008-2009

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: ०३-०१-१९

कोषाधिकारी, कोषागार,

आजगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओंकार राय

सेवानिवृत्त

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

5660 दिनांक 12-04-2012

(ग) जन्मतिथि

15.01.1952

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती गायत्री राय

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.07.1956

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.01.2012

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

37400-67000 (8900)

(घ) वेतन

64,030

(ङ) मूल पेंशन

₹ 32015

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

12806

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

19209

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹ 32,015/- दि० 14.01.17 तक

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

19209

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,66,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

83050

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

83050

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

12806

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चय न लिया जाय

₹

70244

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

₹ 83,050/- दि० 14.01.2019 तक

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

49830

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 5216

12782

2008-2009

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, आजगढ़।

श्री ओंकार राय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-बिजौरा कालोनी, मर्वर नाथ, आजगढ़।

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आजगढ़।

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

सन्तोष कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
आजगढ़



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12444

2011-12

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

03-01-19

कोषाधिकारी,

आजमगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निगित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

जय प्रकाश पाठक

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6456	दिनांक 21.05.2014
(ग)	जन्मतिथि		03.01.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रेमलता पाठक
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9520
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21560
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		0
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	लागू नहीं
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	80650
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9520
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	71130
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5210

12444 2011-12

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वयित विद्युत वितरण निगम लि०, आजमगढ़
श्री जय प्रकाश पाठक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, 340 एच राजनगर कालोनी, पत्रालय आरोप्य मन्दिर, गोरखपुर
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार आजमगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

शक्ति भवन, लखनऊ

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10343

04-05

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 03-01-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री भवानी शंकर शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3114	दिनांक 26.05.2005
(ग)	जन्मतिथि		01.04.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कुंज बाला शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.10.1953
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3,040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21,255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14,577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	-
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	-
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69,550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3,040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66,510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41,730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-5218

10343 04-05

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
श्री भवानी शंकर शर्मा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता सैक्टर-9, मकान नं० 65, आवास विकास, सिकन्दरा, आगरा।
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार आगरा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Bihar Sahasra Shiksha Mission

Bihar Sahasra Shiksha Mission

पान/2/NS(O)/CO/18/2010/19993/CO/74928



पत्र सं०

11345

2008-2009

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 03-01-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्र जैन

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अनिवार्य सेवानिवृत्त

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

4931 दिनांक 16-06-2010

(ग) जन्मतिथि

06.07.1949

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती मधु जैन

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

05.12.1954

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

25.03.2008

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 (10000)

(घ) वेतन

62,160

(ङ) मूल पेंशन

29526

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

10490

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

19036

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

18648

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1.62.300

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

81150

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

77093

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

10490

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

66603

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

48690

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5219

11345

2008-2009

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-पथम,परिवर्तन विद्युत वितरण निगम लि०, विकटोरिया पार्क,मेरठ।

श्री रमेश चन्द्र जैन, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-1-बी, द्वारिका टावर्स,जी०एच०-1/105,जागृति बिहार,मेरठ।

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

मेरठ

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13823

15-16

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- ५/11/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अहमद अली खॉ

सेवानिवृत्त

अधि०अभि०

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6922	दिनांक 07.12.2015
(ग)	जन्मतिथि		15.10.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विलकीस खान
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.10.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹	71,040
(ङ)	मूल पेंशन	₹	35520
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14208
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21312
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		35520 दि० 14.10.20 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	21312
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	182700
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	182,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	91350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	91350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14208
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	77142
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	91350 दि० 14.10.22 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-५२५७

13823 15-16

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़
- श्री अहमद अली खॉ, सेवानिवृत्त अधिसासी अभियन्ता, पता-ई-4 काउन अपार्टमेंट, कबीर कालोनी, अनूप शहर रोड जमालपुर, अलीगढ़
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार अलीगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करे।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० लेखाधिकारी (पेंशन) लि०
शक्ति भवन, लखनऊ

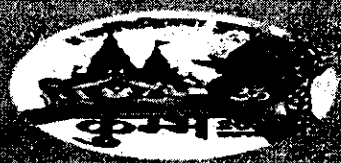


उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० संपत्तिकार का समूह)

पता: 484 लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी, लखनपुर, कानपुर।

फोन: 2201010/2201011/2201012/2201013



पत्र सं०

9200

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

04-01-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश सिंह

सेवानिवृत्त

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

उपमहाप्रबन्धक

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2019 दिनांक	22-10-2002
(ग)	जन्मतिथि		12-07-1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती चिया सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15-07-1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-07-2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400 / 37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	₹ 23620/- दि० 21.01.18 तक तदुपरान्त ₹ 27,350/-
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		61 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	75002
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	75002
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 71,272/- दि० 21.01.18 तक तदुपरान्त ₹ 75002/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5221

9200

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।

श्री रमेश सिंह, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-484 लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी, लखनपुर, कानपुर।

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

कानपुर

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावस कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का सम्पत्ति)

U.P. Power Corporation Limited

उ०प्र० सरकार का सम्पत्ति

पं० (क) २५६१०/२५६१०/२५६१०/२५६१०/२५६१०



पत्र सं०

9284

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: ०५-०१-१९

कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कन्हैया लाल भाटिया

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2113	दिनांक 08-01-2003
(ग)	जन्मतिथि		12-04-1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रश्मि भाटिया
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15-07-1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-04-2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4216
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	₹ 23,134/- दि० 07.04.2018 तक तदुपरान्त ₹ 27,350/-
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4216
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 76,934/- दि० 07.04.18 तक तदुपरान्त ₹ 81,150/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5222

9284

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप मुख्य लेखाधिकारी, केस्को, 14/71, सिविल लाइन, कानपुर।

श्री कन्हैया लाल भाटिया, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-बी-508, शिवा अपार्टमेंट, मोती बिहार, सर्वोदय नगर, कानपुर।

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

कानपुर

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9601 2003-2004 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 04-01-19

कोषाधिकारी, कोषागार
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सावित्री रानी सिंह पत्नी स्व० भानु सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
प्रताप सिंह अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2563 दिनांक 20-03-2004
(ग)	जन्मतिथि	19-07-1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सावित्री रानी सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.07.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	10-01-2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400/22400 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 21,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14510
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	49 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ -
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) (87750-1755) 2 % दण्ड के पश्चात्	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 5234 9601 2003-2004 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
श्रीमती सावित्री रानी सिंह पत्नी स्व० भानु प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-प्लॉट नं०-16/27 के-93, कुम्हानगर, शिवपुर, वाराणसी।
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
वाराणसी



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN. U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7502

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- ०५-०१-१९

कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती गायत्री शर्मा पत्नी स्व० कृष्ण मोहन सेवानिवृत्त शर्मा

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6799	दिनांक 26.02.2015
(ग)	जन्मतिथि		15.09.1935
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गायत्री शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		8६15६1937
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		9६30६1993
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 ग्रेड-पे (5400)
(घ)	वेतन	₹	4,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	10492
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	लागू नहीं
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	73,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	36600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	21960
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	26532 दिनांक 15.08.17 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5235

7502 96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़
- श्रीमती गायत्री शर्मा पत्नी स्व० कृष्ण मोहन शर्मा, सहा०अमि० पता-द्वारा श्री मनोज उपाध्याय, मोहल्ला दमदमा पुरानी तहसील रोड, मकान नं० 178 सिकन्दरा राव,
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार अलीगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उमप्रो भावस् कारपोरेशन लि०

(उमप्रो भावस् का समूह)

U.M.P.R.O. Bhavasth Ka Samuh

The Government of India

पेंशन PENSION (निर्गत 2018) 1997-1998



पत्र सं०

7620

1997-1998

उमप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक 4/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रवीन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	287	दिनांक 11-06-1997
(ग)	जन्मतिथि		25-04-1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मीरा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		19.12.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-04-1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		63000-78000
(घ)	वेतन	₹	21,350
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		15 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	85700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	57420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 80 वर्ष पूर्ण करने पर 20% अतिरिक्त	₹	₹ 17,140/- दि० 25.04.19 से

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5236

7620

1997-1998

उमप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-पथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, बिक्टोरिया पार्क, मेरठ।
श्री रवीन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-एफ०-205, शास्त्री नगर, मेरठ।

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ।

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्रोपाठका०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पंजन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11054

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- ५/११/१९

कोषाधिकारी,

कोषागार, मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री. ऋषि पाल कारवाल

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3721	दिनांक 07.09.2006
(ग)	जन्मतिथि		05.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राजबाला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10-10-1955
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		4284 चर वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 ग्रेड-पे (5400)
(घ)	वेतन	₹	27,740
(ङ)	मूल पेंशन	₹	13870
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	5548
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	8322
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	8322
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	लागू नहीं
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	73,200
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	36600
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	36600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	5548
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	31052
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	21960
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5237

11054 06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ

श्री. ऋषि पाल कारवाल, लेखाकार सेवानिवृत्त पता 418/1, हनुमान कालोनी, रुड़की

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार मेरठ

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION C/P32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12066

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

५/१/१९

कोषाधिकारी, कोषागार,

मथुरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्याम दत्त दीक्षित

सेवानिवृत्त

अधीक्षण

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5178	दिनांक 23-02-2011
(ग)	जन्मतिथि		05.08.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सरोज दीक्षित
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.01.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		37400-67000 (10000)
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	73.880
(ङ)	मूल पेंशन	₹	36940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		-
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5238

12066

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा।

श्री श्याम दत्त दीक्षित, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-28 सी बैंक कालोनी (कृष्णा नगर), मथुरा।

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

मथुरा

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

04/01/18

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय उप महाप्रबंधक (लेखा)
केन्द्रीय लेखा कार्यालय (पेंशन अनुभाग)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन 14, अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC 024928

संख्या: /उप महाप्रबंधक (लेखा) पेंशन/14299/17-18

दिनांक 4/1/19

सेवा में,

कोषाधिकारी
जिला कोषागार,
सहारनपुर।

मैं निम्नांकित प्राधिकार पत्र प्रेषित कर रहा हूँ :-

1. पी. पी. ओ. संख्या 7455 दिनांक 29.12.18
परिवारिक पेंशन रुपये 83,050/- प्रमाण दिनांक 15.10.2017 से 13.10.2027 तक एवं तदुपरान्त रू0 49,830/-प्रतिमाह।
2. जी. पी. ओ. संख्या 11780 दिनांक 29.12.18
बाबत रुपये 20,00,000/-
1. जो कि स्व0 सुरेश कुमार, सहायक अभियन्ता (दिवंगत तिथि 14.10.2017), की पत्नी श्रीमती पूनम के नाम है तथा अनुरोध है कि पी. पी. ओ. के अर्धक को पहचान की संतुष्टि होने के उपरान्त वितरण अर्धक पर उनके हस्ताक्षर लेने के उपरान्त सौंप दिया जाये तथा अर्धकों पर पेंशन भुगतान की प्रविष्टियाँ की जायें। पेंशनर के नमूने के हस्ताक्षर एवं फोटो आदि संलग्न किये जा रहे हैं।
2. यदि पेंशनर किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा पेंशन आहरित करना चाहता है तो पेंशनर से एक प्रार्थना पत्र तथा एक बंधपत्र इस आशय का ले लिया जाये कि यदि कोई अधिक भुगतान हो जाता है तो वह उसको वापस करेंगे। तत्पश्चात् पेंशनर के अर्धक को पंजीकृत डाक द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास भेज दिया जाये जिसकी प्राप्ति की सूचना पेंशनर द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दी जानी चाहिये। इसे अभिलेखों में सम्हाल कर रखा जाये। यदि पेंशनर बैंक के माध्यम से पेंशन आहरित करना चाहता है तो परिषदाज्ञा संख्या 1874 सी0सी0ए एण्ड-ए-पेंशन/बैंक (पी0एन0बी0) 1983-84 दिनांक 16.11.1983 के अनुसार कार्यवाही की जाये।
3. अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान वरिष्ठ पेंशनरों/पारि0 पेंशनरों को कारपोरेशन आदेश 397 दिनांक 02.03.09 के द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0 3-1508/दस-2008 -308-97 दिनांक 08.12.2008 के प्रस्तर 4 (7) के अनुसार करना सुनिश्चित करें।
4. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के बैंक खाते से सम्बन्धित विवरण यथा पासबुक, निरस्त चेक एवं पैन कार्ड की छायाप्रतियों संलग्न है।
5. **संलग्नक उपरोक्तानुसार :-**
 - (1) पेंशन प्रपत्र भाग-3
 - (2) पी. पी. ओ. (2 अदद अर्थात् पेंशनर + वितरक अर्धक)
 - (3) जी. पी. ओ. (1 अदद)
 - (4) अनन्तिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र।

भवदीय,

(मनोज मेहरोत्रा)
लेखाधिकारी (पेंशन)

संख्या 5239 /उप महाप्रबंधक (लेखा) पेंशन/14299/17-18/तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर एम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि0, सहारनपुर।
3. श्रीमती पूनम पत्नी स्व0 सुरेश कुमार, सहायक अभियन्ता, पता- एस0एन0 45, सिद्धार्थ नगर, मोहम्मदपुर माफी उर्फ हसनपुर, जिला-सहारनपुर को प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, सहारनपुर से भुगतान हेतु सम्पर्क करें एवं अन्य देयों यथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में पी0पी0ओ0 एवं पैन कार्ड की छायाप्रति एवं बैंक का विवरण कम सं0 2 पर अंकित इकाई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(मनोज मेहरोत्रा)
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ0प्र0 पा0 को लि0
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9163

02-03

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

04.01.19

कोषागार वाराणसी

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

राम शरण राय

अधिवर्षता

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1985 दिनांक 21-09-2009	
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1944	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती इन्दू राय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अज्ञात जन्म नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000) 8900 ग्रेड-पे	
(घ)	वेतन		20,000
(ङ)	मूल पेंशन		24ए295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		21.12.2017 पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	
(ख)	निर्धारित वेतन		1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन		3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	66510 21.12.2017 तक 69550 22.12.2017 से अग्रेतर	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 01.01.16 से 20.06.16 तक 20% अतिरिक्त		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

5249

9163

02-03

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा वाराणसी
2. श्री राम शरण राय से०नि० सहायक अभियन्ता, डी-59/360 X10ए शिवपुरी, महमूरगंज, वाराणसी
3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7507

96-97

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

04-01-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

अधिकांसी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	207	दिनांक 29.01.1997
(ग)	जन्मतिथि		04.04.1938
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती आशा श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		07-07-1941
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)	
(घ)	वेतन	₹	19,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित 29.04.12
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमहियों	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	135,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	67500
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	66478
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	65550
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	66478
(ध)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	0
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित 29.04.12
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5150

7507 96-97

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा
श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अधिकांसी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता-एम-18 लायर्स कालोनी, पो० दयालबाग, आगरा-282005
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार आगरा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6145

87-88

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 04.01.19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राकेश सिंह पत्नी स्व० टी०डी० सिंह सेवानिवृत्त

अधिकासी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1295	दिनांक 25.01.2001
(ग)	जन्मतिथि		26.01.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राकेश सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.12.1948 15.12.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		08-01-1987
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		0
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4250-5600/37400-67000 ग्रेड-पे (8700)	
(घ)	वेतन	₹	5,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	47 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	123,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5252

6145 87-88

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद
श्रीमती राकेश सिंह पत्नी स्व० टी०डी० सिंह, अधिकासी अभियन्ता पता-सं०-29 शास्त्री नगर, गाजियाबाद
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

04/01/19

लेखाधिकारी

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited



पत्र सं०

7926

1998-1999

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

०५-०१-१९

कोषाधिकारी, कोषागार,

मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्याम मुरारी लाल बतरा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	697	दिनांक 05-06-1999
(ग)	जन्मतिथि		04-10-1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कुसुम बतरा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		09-05-1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-10-1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवा वतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000-37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	18,650
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2851
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	पुनर्स्थापित दि० 05.09.2014
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	रु० 67,500/- पुनर्स्थापित दि० 05.09.2014
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7926

1998-1999

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

श्री श्याम मुरारी लाल बतरा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-2, आदर्श नगर, मेरठ।

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार,

मेरठ।

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

पता-बी-116 अशोक नगर, गाजियाबाद

संलग्न संख्या: 7384/1995-1996/उ०प्र०/लेखा/पेंशन



पत्र सं०

7384

1995-1996

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 04-01-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विनय कुमार अग्रवाल

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-प्रथम

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	401	दिनांक 27-12-1997
(ग)	जन्मतिथि		26-02-1938
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		अंकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		29-02-1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		63000-78000
(घ)	वेतन	₹	22,925
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		15 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,81,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	90900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	90900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54540
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5257

7384

1995-1996

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
श्री विनय कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता-बी-116 अशोक नगर, गाजियाबाद।

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद।

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10284

04-05

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

04-01-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सत्य नारायण गोयल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3023	दिनांक 28.02.2005
(ग)	जन्मतिथि		24.11.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-6700 ग्रेडपे 8900
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3,040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21,255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	लागू नहीं
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69,550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3,040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66,510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5258

10284 04-05

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

श्री सत्य नारायण गोयल, सहायक अभियन्ता, पता को०सी०-68/29, कदिनगर, गाजियाबाद

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार,

गाजियाबाद

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3

अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



04-1-19

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पैन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13555

14-15

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 04-01-19

कोषाधिकारी,

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय प्रकाश तिवारी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6570	दिनांक 05.09.2014
(ग)	जन्मतिथि		21.12.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुनैना तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		21.12.1953
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	69,970
(ङ)	मूल पेंशन	₹	34985
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13994
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20991
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		34985 दि० 20.12.2020 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20991
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	181,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	90750
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	90750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13994
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	76756
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	90750 दि० 20.12.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54450
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5764

13555 14-15

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी
श्री जय प्रकाश तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता आनन्द नगर कालोनी कन्दवा, पो० कन्दवा, वाराणसी
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार वाराणसी से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

04/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13807

15-16

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

05-01-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, मैनपुरी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री देवेश चन्द्र दुबे

सेवानिवृत्त

सहायक लेखाधिकारी,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6920	दिनांक 05.12.2015
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती रानी दुबे
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		07.09.1961
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेडपे 8700	
(घ)	वेतन	₹	68,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	34,000
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13,600
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20,400
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		34000 दि० 30.06.2022 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20,400
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	लागू नहीं
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,75,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	87,750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	87,750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13,600
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74,150
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	87750 दि० 30.06.2022 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	52,650
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5765

13807 15-16

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मैनपुरी

श्री देवेश चन्द्र दुबे, सहायक लेखाधिकारी, पता गली नं० 5ए, राजा का बाग, मदन माण्डेशरी स्कूल के निकट, देवी मार्ग, मैनपुरी।

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, मैनपुरी से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी, कोषागार,

गौतुबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव चरन गोयल

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5102	दिनांक 23-012-2010
(ग)	जन्मतिथि		16.10.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राजेश गोयल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06.07.1944
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹	35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23428
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	21516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	81668
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 18.12.18	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 5767 11775 2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा।
- श्री शिव चरन गोयल, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता पता-डी-203, सेक्टर-55, नोएडा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतुबुद्धनगर को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10230

04-05

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

कोषाधिकारी कोषागार मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राजरानी जैन पत्नी स्व० उमेश चन्द्र पारिवारिक उपमहा प्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4222 दिनांक 19-08-2008
(ग)	जन्मतिथि	10.02.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राजरानी जैन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.03.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	17-11-2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 (37400-67000) 10000 ग्रेड-पे
(घ)	वेतन	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 14
(ख)	निर्धारित वेतन	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	81,150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 01.01.16 से 20.06.16 तक 20% अतिरिक्त	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5763

10230

04-05

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिधमाचल विद्युत वितरण निगम लि०, धिक्टोरिया पार्क मेरठ
- श्रीमती राजरानी जैन, पत्नी स्व० उमेश चन्द्र जैन, से०नि० उपमहाप्रबन्धक पता 4 प्रथम तल कन्हैया वाटिका निधर बागपत रोड मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 13755 2015-2016 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 05.01.19

कोषाधिकारी, कोषागार,
बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार अग्रवाल

सेवानिवृत्त लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6852	दिनांक 01-09-2015
(ग)	जन्मतिथि		31.07.2015
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्री रश्मि अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		12.10.1959
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	74,230
(ङ)	मूल पेंशन	₹	37115
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14846
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22269
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	₹ 37,115/- दि० 14.07.2020
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22269
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०.	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,92,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	96250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	96250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14846
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	81404
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹	₹ 96,250/- दि० 14.07.2022
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	57750
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 5769 13755 2015-2016 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण त्रिगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली।
- श्री अनिल कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-म०न०-11- पुष्पांजलि कालोनी, राजेन्द्र नगर, के०के० हॉस्पिटल, रोड, बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13635

14-15

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

05-01-19

कोषाधिकारी कोषागार मुजफ्फरनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम किशोर कपूर

अधिवर्षता

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

लेखाधिकारी

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

6695 दिनांक 21-01-2015

(ग) जन्मतिथि

01.12.1954

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती पूनम कपूर

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

14.01.1957

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30-11-2014

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

37400-6700 (8700)

(घ) वेतन

68,000

(ङ) मूल पेंशन

34,000

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

13600

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

20400

(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर

34000 दिनांक 30.11.2019

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

20400 प्र०म०

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11. 04.2018 के अनुसार)

12 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

1,75,500

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

87,750

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

87750

(ङ) राशिकृत पेंशन

20400

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

67350

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)

87750 दिनांक 30.11.2021 तक

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

52650

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 01.01.16 से 20.06.16 तक 20% अतिरिक्त

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5770

13635

14-15

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर

2. श्री राम किशोर कपूर, से०नि० सहायक लेखाधिकारी, पता 45/6, कम्बल वाला बाग, जानसेठ रोड, मुजफ्फरनगर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मुजफ्फरनगर स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7031 1992-1993 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 25.01.19

कोषाधिकारी, कोषागार,
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रंग बहादुर सिंह चौहान सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता		
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	9702	दिनांक	09-08-1994
(ग) जन्मतिथि			11-07-1934
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती ओमवती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			15523
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31-07-1992
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			चौथा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			2600-4000/15600-39100 (\$400)
(घ) वेतन	₹		4,000
(ङ) मूल पेंशन	₹		16252
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		पुनर्स्थापित दि० 09.11.2009
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		6300
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		-
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका सं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹		73,200
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		36600
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		36600
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		₹ 36,600/- पुनर्स्थापित दि० 09.11.2009
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		21960
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		7320

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 5772 7031 1992-1993 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली।

2. श्री रंग बहादुर सिंह चौहान, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-1/16, सुरेश शर्मा नगर, आर०के० यूनीवर्सिटी, बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बरेली को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उमप्र० पावर कारपोरेशन लि०

(स०प्र० सरकारी अमियन्ता)

(U.P. Power Corporation Limited)
(U.P. Government Power Corporation)

PENSION CELL - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100



पत्र सं०

12451

2011-2012

उमप्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/1/18

कोषाधिकारी, कोषागार,

मुजफ्फरनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मदन गोपाल रोहिला

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5362 दिनांक 28.7.2011
(ग)	जन्मतिथि	04.04.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रमिला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.04.1951
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 59,180
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 29590
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 11836
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 17754
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ -

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 11836
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 66464
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

12451

2011-2012

उमप्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर।

2 श्री मदन गोपाल रोहिला, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-1148, पुरषार्थी कालोनी, स्पोर्ट स्टेडियम के पीछे नुमाइश कैम्प, मुजफ्फरनगर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार, मुजफ्फरनगर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का सम्पत्ति)

11, 2000, 1320, 23, 18, 07, 2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में

(पुनर्निर्धारित पेंशन)

पेंशन (PENSION) का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।



पत्र सं० 57

8756

2000-2001

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: ०५/०१/२०१९

कोषाधिकारी, कोषागार,

मेरठ,

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बिजेन्द्र प्रकाश रस्तोगी

सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1750	दिनांक 21.08.2002
(ग)	जन्मतिथि		01.03.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गीता रस्तोगी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		07.12.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28-02-2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	21,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4000
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4000
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 72,500/- दि० 01.01.2016 से 20.06.2017 तक तदुपरान्त ₹ 76,500/- दि० 21.06.17 से
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.16	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 5779

8756

2000-2001

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2. श्री बिजेन्द्र प्रकाश रस्तोगी, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-सी-38, शास्त्रीनगर, मेरठ-250004।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करे।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7870

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/11/19

कोषाधिकारी, कोषागार

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुन्दर लाल

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	537	दिनांक 29-09-1998
(ग)	जन्मतिथि		15.06.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुतन लता अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		14-04-1944
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-06-1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	20.400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित दि० 29.12.2013
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14	तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5781

7870

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत निगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

श्री सुन्दर लाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-क०एल०-12, कवि नगर, गाजियाबाद।

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरोक्त पत्र का प्रमाणित प्रमाण

(संख्या/संख्या/संख्या)

(संख्या/संख्या/संख्या)

संख्या/संख्या/संख्या



पत्र सं-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

8451/2000-01

दिनांक

,2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, बलिया।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री धीरेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3414 04-02-2006
(ग)	जन्मतिथि	01-01-1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शारदा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-12-1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	Rs. 19,400.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 27,305.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 27,305.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,44,200.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 72,100.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 72,100.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 72,100.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 43,260.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-5782 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/8451/2000-01 5/1/18 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, बलिया।

2. श्री धीरेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ग्राम-जगदीशपुर, पोस्ट- महारजपुर रसरा, जनपद-बलिया को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बलिया से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Under Government of India)

पता: PENS (ONLINE) 032201UB1990566024928



पत्र सं०

6855

1992-1993

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

31/1/19

कोषाधिकारी,

गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सावित्री शर्मा पत्नी स्व० गोपी नाथ शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

5218

दिनांक

24-03-2011

(ग) जन्मतिथि

अंकित नहीं

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती सावित्री शर्मा

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

28.08.1945

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

11-03-2002

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पंचम वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

3400-4750 / 10650-15200 / 15600-39100 (6600)

(घ) वेतन

₹

4,125

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

7923

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

11 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

76,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

22860

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5787-

6855

1992-1993

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमौचल विद्युत वितरण निगम लि०, सेक्टर-25, नोएडा।

2. श्रीमती सावित्री शर्मा पत्नी स्व० गोपी नाथ शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-पाकेट-ए-5, फ्लैट नं० 8-डी, सेक्टर-71, नोएडा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुक्तान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का स्वामित्व)

पुनर्वासन और पुनर्वासन विभाग
(पुनर्वासन और पुनर्वासन विभाग)

पुनर्वासन और पुनर्वासन विभाग, गाजियाबाद



पत्र सं०

8937

2001-2002

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

7/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गिरधारी लाल

सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1657	दिनांक 07-01-2002
(ग)	जन्मतिथि		06-08-1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती देव बाला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15-01-1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-08-2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4072
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23278
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4072
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 77078/- दि० 01.01.16 दि० 06.04.17 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹	₹ 81,150/- पुनर्स्थापित दि० 07.04.2017
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5788

8937

2001-2002

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री गिरधारी लाल, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-तृतीय-एच-114, नेहरू नगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर, अनुमान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० प्रकार का उपक्रम)

पञ्जाब प्रदेश, भारत सरकार
(Punjab Pradesh, Government of India)

पञ्जाब प्रदेश, भारत सरकार, 2001/03/09/02/22/23



पत्र सं०

8249

1999-2000

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 07-07-01-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मंजीत कौर पत्नी स्व० दर्शन सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	985 दिनांक 15-04-2000
(ग)	जन्मतिथि	20.09.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मंजीत कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	13.08.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.1999/08.11.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 5791

8249

1999-2000

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया, पार्क, मेरठ।

2. श्री मंजीत कौर पत्नी स्व० दर्शन सिंह नागी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-52 वृन्दावन गार्डन, कालोनी फेज -1, रुड़की, रोड मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

REGISTRATION NO: 1999SGC074-228



पत्र सं०

7998

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

07.01.19

कोषाधिकारी,

इलाहाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अमरनाथ

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	786	दिनांक 28-08-1999
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		अंकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		14300-18300/37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹	15,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	पुनर्स्थापित दिनांक 28.11.2014
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	63400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 63,400/- पुनर्स्थापित दिनांक 28.11.2014
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5792

7998

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, 57-जार्ज टाउन, इलाहाबाद।

2. श्री अमरनाथ, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एम०आई०जी०, 611, झूँसी कालोनी, फ़ेस-2, इलाहाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार इलाहाबाद को प्रेषित पत्रोंक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9961

04-05

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

07-01-19

कोषाधिकारी कोषागार फैजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मीरा मिश्रा पत्नी स्व० मुक्ति नाथ पारिवारिक सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
मिश्रा अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2702 दिनांक 30-07-2004
(ग)	जन्मतिथि	05.06.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीरा मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-06-2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	(16400-20000) 37400-67000 ग्रेड-प्रे 8900
(घ)	वेतन	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 13
(ख)	निर्धारित वेतन	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5796

9961

04-05

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल, विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद
- श्रीमती मीरा मिश्रा पत्नी स्व० मुक्ति नाथ मिश्रा, से०नि० सहायक अभियन्ता, पता मीरा भवन आदर्श पुरम् देवकाली फैजाबाद
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, फैजाबाद स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

07/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० म० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र०-सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10884

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

07-01-19

कोषाधिकारी कोषागार फैजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मुन्नी द्विवेदी पत्नी स्व० शिवनाथ द्विवेदी

पारिवारिक

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

3557 दिनांक 29-04-2006

(ग) जन्मतिथि

04.01.1948

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती मुन्नी देवी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

25.10.1948

2(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31/1/2006 / 29/10/2014

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड-प्रे 8900

(घ) वेतन

55,210

(ङ) मूल पेंशन

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

16563

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

62 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

तालिका संख्या

13

(ख) निर्धारित वेतन

1,43,300

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

71,650

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

42990

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5797

10884

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च, विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद

2. श्रीमती मुन्नी द्विवेदी पत्नी स्व० शिव नाथ द्विवेदी पता 8/10/81/1ए हनुमत नगर कालोनी नाका फैजाबाद

3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, फैजाबाद स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

07/01/19

श्रीमती मुन्नी

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)



उपराज्य पावर कारपोरेशन लि०

(उपराज्य सरकार का उपक्रम)

1887, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (1887, Allahabad, Uttar Pradesh)

पंजीकरण सं० 1887/10/1999SG002428



पत्र सं०

12441

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

07-01-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

इलाहाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री तरुण श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

अधिकासी

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

5612

दिनांक

01-03-2012

(ग) जन्मतिथि

29.04.1951

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती निशा श्रीवास्तव

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.07.1955

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.04.2011

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 (10000)

(घ) वेतन

₹

73,880

(ङ) मूल पेंशन

₹

36940

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

14776

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

22164

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

22164

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,93,800

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

96900

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

96900

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

14776

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

82124

(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

58140

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 25.11.15 80 वर्ष/20 %

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5798

12441

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, इलाहाबाद।

2. श्री तरुण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-21/3 टी०एफ० 303 बरसाना अपार्टमेंट मधुकुंज, मास्टर जी०एच० रोड, इलाहाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार इलाहाबाद को प्रेषित पत्राक दिनांक के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर मुहताम प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पात्र कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पात्र कारपोरेशन लि०)

उ०प्र० पात्र कारपोरेशन लि०



पत्र सं०

13243

2013-2014

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 07-01-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गारेखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामरूप राम

सेवानिवृत्त

अधिकासी

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6256	दिनांक 10-10-2013
(ग)	जन्मतिथि		09.07.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	41,486
(ङ)	मूल पेंशन	₹	34980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13992
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20988
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,81,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	90750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	90750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13992
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	76758
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5799

13243

2013-2014

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
2. श्री रामरूप राम, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-आवास सं०-बी०-162, दिव्यनगर विस्तार, कूड़ाघाट, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गारेखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8179

99-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

07-01-19

कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश सिंह

अधिवर्षता

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

स्तर-प्रथम

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

838 दिनांक 22-10-1999

(ग) जन्मतिथि

28.08.1941

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

अंकित नहीं

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2 (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31-08-1999

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पाचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

63000-78000

(घ) वेतन

22,925

(ङ) मूल पेंशन

31,500

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

पुनर्स्थापित

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

लागू नहीं

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11. 04.2018 के अनुसार)

15 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

1,71,400

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

85,700

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

85700

(ङ) राशिकृत पेंशन

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

लागू नहीं

(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5800

8179

99-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम पूर्वान्वत विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी

2 श्री सुरेश सिंह, से०नि० मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता 18, राजराजेश्वरी नगर गिलट बाजार, वाराणसी

3 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

07/01/19

सीता सिंह

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8672

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निगृत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कुवर सिंह पुण्डरी

अधिवर्षता

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1434	दिनांक 29-05-2001
(ग)	जन्मतिथि	05.08.1942	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विजय पूण्डरी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		12.09.1947
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-08-2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000)	8900 ग्रेड-पे
(घ)	वेतन		19,100
(ङ)	मूल पेंशन		24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		2975
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		21320
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	13
(ख)	निर्धारित वेतन		1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		67,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन		2975
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	64525	दिनांक 29.08.2016 से पुनर्स्थापित 67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 01.01.16 से 20.06.16 तक 20% अतिरिक्त		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

5801

8672

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/7/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर
2. श्री कुवर सिंह पूण्डरी से०नि० सहायक अभियन्ता पता ए-3, चर्च कम्पाउण्ड, बाजोरिया रोड, सहारनपुर
3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, सहारनपुर स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10717

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी कोषागार फैजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती दुर्गेश्वरी सिंह पत्नी स्व० शंकर सिंह पारिवारिक अधिशासी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4094 दिनांक 27-10-2007
(ग)	जन्मतिथि	10.12.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्री दुर्गेश्वरी सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नही
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-12-2005/20-11-2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400
(घ)	वेतन	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नही
(घ)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नही
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नही
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नही
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	15188
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	59 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	14
(ख)	निर्धारित वेतन		1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		81,150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नही
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नही
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नही
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		लागू नही
(ङ)	राशिकृत पेंशन		लागू नही
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ		लागू नही
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)		लागू नही
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 01.01.16 से 20.06.16 तक 20% अतिरिक्त		लागू नही

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5804

10717

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 7/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योत्तर, विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद
- श्रीमती दुर्गेश्वरी सिंह पत्नी स्व० श्री शंकर सिंह से० नि अधिशासी अभियन्ता, मो० कृष्णा बिहार कालोनी, उसरू रायबरेली रोड फैजाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, फैजाबाद स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(Signature)
07/01/19

श्रीमती सिन्हा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7436

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री डी०पी० सिंह

अधिवर्षता

अधिशाली

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

174 दिनांक 04-11-1996

(ग) जन्मतिथि

21.01.1938

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती शीला देवी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31-01-1996

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400 (37400-67000 ग्रेड पे 10000)

(घ) वेतन

18,900

(ङ) मूल पेंशन

27,350

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

पुनर्स्थापित 04.02.2012

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

14220

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

1,44,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

72,100

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

72100

(ङ) राशिकृत पेंशन

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

72100

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

43260

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

86520

दिनांक 21.01.2018 से

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

5806

7436

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 7/1/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम अलीगढ़

2. श्री डी०पी० सिंह, से०नि० अधिशाली अभियन्ता, पता 19/567 प्रीमियर नगर अलीगढ़

3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार,

अलीगढ़

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र०
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8659

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी कोषागार आजमगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव चरन राम

अधिवर्षता

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

1351 दिनांक 15-03-2001

(ग) जन्मतिथि

09.02.1943

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती गुलैचा देवी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

28-02-2001

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पाचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400 (37400-67000 ग्रेड पे 10000)

(घ) वेतन

22,400

(ङ) मूल पेंशन

26,500

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

4400

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

22100

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

15900

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

1,62,300

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

81,150

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

81150

(ङ) राशिकृत पेंशन

4400

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

76750 दिनांक 15.06.2016 से पुनर्स्थापित 81150

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

48690

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

5807

8659

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 7/1/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, आजमगढ़

श्री शिव चरन राम से०नि० महाप्रबन्धक पता ग्रा० एवं पो० छततरपुर, खुशहाल जिला आजमगढ़

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, आजमगढ़ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

Handwritten signature and date 07/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन) लि०



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8887

01-02

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषागार कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व० आदित्य
प्रकाश तिवारी

पारिवारिक

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2645 दिनांक 08-06-2004

(ग) जन्मतिथि

25.12.1946

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती पुष्पा देवी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

10.10.1953

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

24-04-2001

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

16400-20000 (37400-67000) 8900 ग्रेड-पे

(घ) वेतन

19,550

(ङ) मूल पेंशन

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

14577

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

तालिका नं० 13

(ख) निर्धारित वेतन

1,39,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

69,550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

41730

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 01.01.16 से 20.06.16 तक 20% अतिरिक्त

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

5808

8887

01-02

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 7/1/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी गोविन्द नगर कानपुर

2. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व० आदित्य प्रकाश तिवारी सहायक अभियन्ता, पता 124/204 सी ब्लॉक, गोविन्द नगर, कानपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

7/1/19

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN- U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8496

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री केवल कृष्ण अग्रवाल

अधिवर्षता

अधीक्षण

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

4096 दिनांक 03-11-2007

(ग) जन्मतिथि

01.01.1942

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती आशा अग्रवाल

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

लागू नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30-06-2000

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पाचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400 (37400-67000) 10000 ग्रेड-पे

(घ) वेतन

21,900

(ङ) मूल पेंशन

27,350

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

4234

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

23116

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

16410

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14

(ख) निर्धारित वेतन

1,57,600

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

0

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

78,800

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

78800

(ङ) राशिकृत पेंशन

4234

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

दिनांक 03.04.2016 तक 74566/- दिनांक 04.04.2016 से 78800/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

49280

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 01.01.16 से 20.06.16 तक 20% अतिरिक्त

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

5809

8496

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 7/1/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, गाजियाबाद

2. श्री केवल कृष्ण अग्रवाल, से०नि० उपमहाप्रबन्धक, पता सी-411 महेश नगर, 60 फिट रोड जयपुर

3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद से सम्पर्क सीपित कर भुगतान करें।

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9311

02-03

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी कोषागार उन्नाव

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम शंकर वर्मा

अधिवर्षता

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

4233 दिनांक 15-09-2008

(ग) जन्मतिथि

01.04.1941

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

अंकित नहीं

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31-03-1999

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पाचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

14300-18300 (37400-67000) 8700 ग्रेड-पे

(घ) वेतन

15,100

(ङ) मूल पेंशन

23,050

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

3020

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

20030

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

13830

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11. 04.2018 के अनुसार)

तालिका संख्या

12

(ख) निर्धारित वेतन

1,23,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

61,550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग/1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(ध) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

61550

(ङ) राशिकृत पेंशन

3020

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग

58530

पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

36930

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 01.01.16 से

20.06.16 तक 20% अतिरिक्त

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5811

9311

02-03

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2/1/19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, उन्नाव

2 श्री राम शंकर वर्मा, स०नि सहायक अभियन्ता, पता 1085 कल्याणी देवी मार्ग, सिविल लाइन्स उन्नाव

3 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार,

उन्नाव

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

07/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7505

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

07-01-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	113	दिनांक 01.08.1996
(ग)	जन्मतिथि		04.05.1938
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सरला गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		5६31६1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		8550-275-13500/15600-39100 ग्रेड-पे (5400)
(घ)	वेतन	₹	11,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹	11391-34500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित 30.09.14
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं

(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियों	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	69000

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	69,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	34500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(१)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	34500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित 30.09.14
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	20700
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	41400 दि० 04.05.18 से अग्रतर 20 प्रतिशत अतिरिक्त

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

5815

7505 96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर
श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, लेखाकार सेवानिवृत्त लेखाकार पता 118/574, कौशलपुरी, कानपुर-208012
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार कानपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपमहाप्रबन्धक कारपोरेशन लि०

(उपमहाप्रबन्धक का उपमहाप्रबन्धक)

(Deputy Commissioner of Corporation Limited)

(U.P. Government of India)

PENSION (CIN 2201001999SGR02476)



पत्र सं०

9487

2002-2003

उम०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: ०७-०१-१९

कोषाधिकारी, कोषागार,

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कान्त पाठक

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2322

दिनांक

13-08-2003

(ग) जन्मतिथि

13.05.1945

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती ममता पाठक

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.03.2003

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 (10000)

(घ) वेतन

22,400

(ङ) मूल पेंशन

27350

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

4198

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

23152

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

16410

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

1,62,300

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

81150

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

81150

(ङ) राशिकृत पेंशन

4198

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

रु० 76,952/- दिनांक 12.11.18 दि० 13.11.18 से रु० 81,150/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

48690

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

9487

2002-2003

उम०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।

2 श्री श्रीकान्त पाठक, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-64 डी, श्री गणेशम कालोनी, नेवादा, सुन्दरपुर, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

10004/04-05

दिनांक ८७/०१, २०१८

कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्रीमती आरिफा पत्नी स्व० नसीर बख्श, सहायक सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2690 24.07.2004
(ग)	जन्मतिथि	15.12.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आरिफा नसीर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.09.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	01.09.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवीं वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	(60 छमाहियों)
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 81,150.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन (राशिकरण के उपरान्त)	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) (आदेश सं० 1204)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% अतिरिक्त पेंशन 30.09.19 से	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-5820 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 10004/04-05

तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़।

2. श्रीमती आरिफा पत्नी स्व० नसीर बख्श, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता-म०न०-774, नसीरकदा, निकट रायल जिम, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अलीगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 12303 2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 07-01-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जितेन्द्र कौशिक सेवानिवृत्त अधिशासी
अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण		अधिवर्षता	
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5387	दिनांक 09-08-2011
(ग)	जन्मतिथि		21.11.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शशि कौशिक
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		20.03.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	73.880
(ङ)	मूल पेंशन	₹	36940
(व)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 5821 12303 2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत निगरीय वितरण खण्ड-प्रथम,पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
2. श्री जितेन्द्र कौशिक, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-द्वारा अशोक पहलवान,4-तुराबनगर, हरदेव सहाय, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद। को प्रेषित पत्रांक दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर सुगमता प्राप्त करें।

पत्र सं०- उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

9967/04-05

दिनांक ८७/८१, २०१४

कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-177 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री राजवंश सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2736 24.08.2004
(ग)	जन्मतिथि	15.7.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ज्योति सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिदगत तिथि	31.07.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 G.P 8900
(घ)	वेतन	Rs. 20,000.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 24,295.00
(व)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 3,040.00
(ज)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 21,255.00
(झ)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(ञ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ट)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,39,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 69,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 69,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 3,040.00
(व)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 66,510.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 41,730.00
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- ८८८२- उ०प्र०/लेखा/पेंशन/9967/04-05

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।

2. श्री राजवंश सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता-डी-59/199 शिवपुरा, निराला नगर, वाराणसी को प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8498

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

07-01-19

कोषाधिकारी कोषागार मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निगित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सर्वेश कुमार अग्रवाल

अधिवर्षता

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1113 दिनांक 21-08-2000
(ग)	जन्मतिथि	30.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुशीला अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.06.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-07-2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 (37400-67000 ग्रेड पे 10000)
(घ)	वेतन	21,900
(ङ)	मूल पेंशन	27,350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	पुनर्स्थापित 15.09.2015
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 14
(ख)	निर्धारित वेतन	1,57,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	78,800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	78800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	15.09.2015 से पुनर्स्थापित 78800
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	47280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 01.01.16 से 20.06.16 तक 20% अतिरिक्त	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5823

8498

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमार्धल, विद्युत वितरण निगम लि०, विकटोरिया पार्क, मेरठ

2

श्री सर्वेश कुमार अग्रवाल से०नि० महाप्रबन्धक पता 144 फुलबाग कालोनी, मेरठ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार,

मेरठ

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उमप्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उमप्र० सरकार का स्वामित्व)

1/2, 20th, 3rd Floor, Sector 1, Gurgaon

HR 122001, Haryana

पंजीकृत नं०: 1/2/2001/HR/122001/2021



पत्र सं०

11851

2009-2010

उमप्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 07-01-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

भदोही

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बशीर अहमद खान

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4744	दिनांक 25-01-2010
(ग)	जन्मतिथि		02.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कैसर जहाँ
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.06.1958
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 25.11.15 80 वर्ष/20 %	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5829

11851

2009-2010

उमप्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, भदोही।
- श्री बशीर अहमद खान, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ई०बी०ए० खान, मोहल्ला मलिकाना पोस्ट भदोही, जिला, भदोही।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार भदोही। को प्रेषित पत्रांक दिनांक

के सापेक्ष संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करायें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उमोप्रो मानव कारपोरेशन लि०

(उमोप्रो मानव कारपोरेशन लि०)

मानव कारपोरेशन लि०

मानव कारपोरेशन लि०



पत्र सं०

7142

1993-1994

उमोप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

07.01.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पारसनाथ वर्मा

सेवानिवृत्त

अधिकासी

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पीपीओओ संख्या

9730

दिनांक

21-09-1994

(ग) जन्मतिथि

25.11.1935

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

लागू नहीं

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.11.1993

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चतुर्थ वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

5000-6300/37400-6700 (8900)

(घ) वेतन

₹

6,700

(ङ) मूल पेंशन

₹

24295

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

पुनस्थापित

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

24295

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

लागू नहीं

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444

13 तालिका सं०

दि० 11.04.2018 के अनुसार)

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,35,000

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

67500

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू

₹

लागू नहीं

वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित

₹

लागू नहीं

सकल पेंशन

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से

₹

67500

पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग

₹

₹ 67,500/- पुनस्थापित

पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.

₹

लागू नहीं

12.18

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

40500

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

₹ 13,500/- प्रतिमाह

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5830

7142

1993-1994

उमोप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2. श्री पारसनाथ वर्मा सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-60-आर, नई कॉलोनी महेबा, बगौ, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्ति करे।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमोप्रो/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

147, 200वाँ को-ऑपरेटिव बिजनेस

(147 को-ऑपरेटिव बिजनेस)

पैन PAN/01/01/2016/1995000024922



पत्र सं०

11153

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सियानन्द त्यागी

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3900	दिनांक 11-01-2007
(ग)	जन्मतिथि		02.11.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सत्या
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		18.08.1948
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	67,600
(ङ)	मूल पेंशन	₹	33800
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12178
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21622
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20280
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,77,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	88700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	88700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12178
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	76522
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 18.12.18	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	53220
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5831

11153

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया, पार्क, मेरठ।

2 श्री सियानन्द त्यागी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-सी-42, पान्डव नगर, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक दिनांक

के सापेक्ष तत्काल के अग्रिम से भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

UPPCL Power Corporation Limited

UPPCL Government of Uttar Pradesh

पेंशन PENSION C/P/032201UR1905SQC024928



पत्र सं0

12085

2010-2011

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामपाल

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	4978	दिनांक 06-08-2010
(ग)	जन्मतिथि		20.05.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सीता जायसवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं0	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70628
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं0 1204 दि0 16.12.18	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं0

5832

12085

2010-2011

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

30/3/2017

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि0, गोविन्द नगर, कानपुर।

2. श्री राम पाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-341-बलाक-बी, पनकी, कानपुर-208020।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करने-मुमकिन प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7504

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

07.01.19

कोषाधिकारी,

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय कुमार वर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	196	दिनांक 17.12.1996
(ग)	जन्मतिथि		23.08.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रागिनी वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		8E10E1943
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		9E30E1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20100/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)	
(घ)	वेतन	₹	17,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577

(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	67500

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	135,000

4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	67500
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं

(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
-----	---	---	-----------

(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
--------	--	---	-----------

(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	17.03.12 पुनर्स्थापित

(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	67500
-----	---	---	-------

(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500

(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं
-----	--------------------------------	---	-----------

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5833

7504 96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी
श्री विजय कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता डी-4, भुवनेश्वर नगर कालोनी, अर्दली बाजार, वाराणसी
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार वाराणसी से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

04/01/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० साकार का समुदाय)

1989-90 पर्यंत का वित्त वर्ष का वित्त बजट

पुनर्गठन अधिनियम, 1986 (अधिनियम सं० 32, 1986)



पत्र सं०

12069

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री महेन्द्र नारायण श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

6054

दिनांक

24-04-2013

(ग) जन्मतिथि

05.07.1950

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती वीना श्रीवास्तव

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.06.1955

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.2010

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000(10000)

(घ) वेतन

₹

65.010

(ङ) मूल पेंशन

₹

32505

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

13002

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

19503

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

19503

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,67,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

83600

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

83600

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

13002

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

70598

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

50160

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5034

12069

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री महेन्द्र नारायण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-एस०एफ०-49, वरदान अपार्टमेंट, अमय खण्ड-3, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U37201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13846

2015-2016

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विश्वनाथ सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6903	दिनांक 05-11-2015
(ग)	जन्मतिथि		01.10.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रीना गंगवार
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.09.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹	70,040
(ङ)	मूल पेंशन	₹	35020
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14008
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21012
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		35020 दि० 30.09.2020 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	21012
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,80,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	90400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	90400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14008
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	76392
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹	₹ 90400/- दि० 30.09.2022 तदुपरान्त
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54240
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 25.11.15 80 वर्ष/20 %	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 5036

13846

2015-2016

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।

2. श्री विश्वनाथ सिंह, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-ए-3 कुलदीप विहार कालोनी, क्वार्टी बाईपास रोड, अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अलीगढ़। को प्रेषित पत्रांक दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-.....उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

13645/14-15

दिनांक 11/12/2019

कोषाधिकारी,
कोषागार, गोरखपुर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र किशोर सिन्हा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6709 07.02.15
(ग)	जन्मतिथि	25.01.54
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती किरन लता सिन्हा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1962
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.14
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 65,940.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 32,970.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 13,188.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 19,782.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	32970 upto 24.01.21
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 19,782.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,71,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 85,550.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 85,550.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 13,188.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	Rs. 72,362.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	85550 upto 24.01.21
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 51,330.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-.....उ०प्र०/लेखा/पेंशन/13645/14-15

तददिनांक

प्रतिरूपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-11, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजीपुर।

2. श्री वीरेन्द्र किशोर सिन्हा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-भवन सं०-211, सन्त, हुसैन नगर कालोनी, पोस्ट-शिवपुर, शाहबाजगंज, जिला-गोरखपुर-273014 लखनऊ की इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोरखपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

11111/2006-07

दिनांक 6/01/2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजीपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री विजय नारायण राय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	3967	24.03.2007
(ग)	जन्मतिथि		18.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती चम्पा राय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		(37400-67000) Grade Pay 8900
(घ)	वेतन		Rs. 56,870.00
(ङ)	मूल पेंशन		Rs. 28,435.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		Rs. 7,402.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		Rs. 17,061.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		Rs. 17,061.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन		Rs. 1,47,600.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		Rs. 73,800.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		Rs. 73,800.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन		Rs. 7,402.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		Rs. 66,398.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		Rs. 44,280.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-5241 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

11111/2006-07

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजीपुर।

2. श्री विजय नारायण राय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता- 42 ई० बड़ी बाग, विवेकीराय रोड मार्ग, गाजीपुर-233001 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजीपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6157

87-88

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मीना भटनागर पत्नी स्व० सुरेश सेवानिवृत्त
कुमार भटनागर

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8145	दिनांक 29.06.1990
(ग)	जन्मतिथि		10.10.1929
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मीना भटनागर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		28.08.1939
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.1987
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		1025-1275/15600-39100 ग्रेड-पे (5400)
(घ)	वेतन	₹	3,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	6393
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	21330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	80 वर्ष पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन 21330 +4266 = 25596 दि० 28.08.19 से

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (बु) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5844

6157 87-88

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक 8/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद
श्रीमती मीना भटनागर पत्नी स्व० सुरेश कुमार भटनागर, सहा०अभि० पता आर-2 240, राजनगर, गाजियाबाद
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

13400

2013-2014

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
गौतमबुद्धनगर, नोएडा।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विनोद कुमार सिन्हा

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6432	दिनांक 28-04-2014
(ग)	जन्मतिथि		12.01.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अर्चना सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06.07.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 38,500/- दि० 11.01.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	23100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	84400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 99,800/- दि० 11.01.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

5846

13400

2013-2014

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 8/1/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

श्री विनोद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-59/3 अंसल हारमनीहोम, सेक्टर-57, सुशांत लोक-तृतीय, गुडगाँव (हरियाणा)।

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

गौतमबुद्धनगर,
नोएडा।

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(संशोधन) सरकार का उपकरण

पुनरीक्षण के लिए उपकरण

पुनरीक्षण के लिए उपकरण



पत्र सं०

12027

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ज्ञान प्रकाश भारद्वाज

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

(घ) वेतन

(ङ) मूल पेंशन

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

(ख) निर्धारित वेतन

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

अधिवर्षता

5333 दिनांक 01-07-2011

01-02-1950

श्रीमती मुन्नी देवी

01.11.1952

31.01.2010

छठा वेतनमान

37400-67000 (10000)

71,720

35860

12432

23428

लागू नहीं

21516

40 छमाहियाँ

14 तालिका सं०

1,88,200

94100

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

94100

12432

81668

लागू नहीं

56460

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5847

12027

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 8/1/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण नियम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।

श्री ज्ञान प्रकाश भारद्वाज, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-डी-4, महावीर पार्क विस्तार, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001।

2

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़।

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यालय

(उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यालय)

भारत सरकार, नई दिल्ली

प्राप्त दिनांक: 01.01.2016



पत्र सं०

8125

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 05-01-17

कोषाधिकारी, कोषागार,

अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामा शंकर गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	901	दिनांक 05-01-2000
(ग)	जन्मतिथि		15.06.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मालती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		14300-18300 (8200)
(घ)	वेतन	₹	15,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	63400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 18.12.18	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लम्पसुद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8125

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।
2. श्री रामा शंकर गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-12, प्रयाग सरोवर कालोनी, अतरौली बस स्टैंड के पीछे, रामघाट रोड, अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7514

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- ०८-०१-१९

कोषाधिकारी,

कोषागार, बलरामपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चेत राम शुक्ल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

299

दिनांक

09.07.1997

(ग) जन्मतिथि

07.07.1937

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती राम कुमारी शुक्ला

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.1995

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चौथा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

3400-4750/15600-39100 ग्रेड-पे (6600)

(घ) वेतन

₹

4,625

(ङ) मूल पेंशन

₹

15342

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

पुनर्स्थापित

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

9205

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

लागू नहीं

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

11 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

83,300

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

41650

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

41650

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

पुनर्स्थापित

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

41650 दि० 01.01.16 से 06.07.17 तक

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

24990

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन 8330 दि० 07.07.17 से

41650+8330=49980

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5851

7514 96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बलरामपुर, जिला जौहटा

श्री चेत राम शुक्ल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता मो० नई बाजार, पो० बलरामपुर, बलरामपुर, जिला जौहटा।

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार

बलरामपुर

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7512

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 08.01.19

कोषाधिकारी,

कोषागार, आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रवेश निगम पत्नी स्व० सुमति सेवानिवृत्त कुमार निगम

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4229 दिनांक 30.08.2008
(ग)	जन्मतिथि	02.01.1938
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रवेश निगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01-03-1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिदंगत तिथि	31.01.1996/18.03.2016
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-400-18300/37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 15,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 21654
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21654
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	62 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ 0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 123,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 61550
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 57820
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 61550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 61550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 61550 दि० 18.03.2016 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930 दि० 14.03.2016 से अप्रेतर
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5854

7512 96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा

श्रीमती प्रवेश निगम पत्नी स्व० सुमति कुमार निगम, सह०अभि०, पता गीता नगर, कलेक्ट्रेट के सामने, छिन्दवाड़ा (म०प्र०)

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार आगरा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, देवसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)
पेंशन PENSION CIN: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8093

99-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 02-01-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर नगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुमाष चन्द्र निगम

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	708	दिनांक	23.06.1999
(ग)	जन्मतिथि			02.04.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शैली निगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			28.07.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.04.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			0
(घ)	वेतन	₹		22,925
(ङ)	मूल पेंशन	₹		31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4257
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		27243
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		6878
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		15 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		181,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		90900
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		90900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		90900
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		54540
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

8093 99-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर

श्री सुमाष चन्द्र निगम, मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 111ए/401, अशोक नगर, कानपुर-208012

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार

कानपुर नगर

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8741

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 08-01-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दयाराम चौधरी

सेवानिवृत्त

अधिकांसी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1402 दिनांक 16.04.2001
(ग)	जन्मतिथि	04.01.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती वारती चौधरी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01-09-1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹ 21,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3660
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23690
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ 0

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 157,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 78800
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 78800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3660
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 75140 दि० 15.07.16 तक तदुपरान्त 78800 दि० 16.07.16 से अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 47280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 8741

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर

श्री दयाराम चौधरी, अधिकांसी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 193 एच मयूर विहार, वशारतपुर पूर्वी, गोरखपुर

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार

गोरखपुर

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करे।

3 अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13233

13-14

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 03-01-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, फिरोजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती संगीता बंसल पत्नी स्व० प्रवीण सेवानिवृत्त कुमार बंसल

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6206 दिनांक 13.09.2013
(ग)	जन्मतिथि	ykxw ugh (अज्ञात)
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती संगीता बंसल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04-05-1966
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28-12-2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000(10000)
(घ)	वेतन	₹ 62,570
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	31285 दि० 27.12.2022 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18771
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियें

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 162,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(घ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 80,150/- दि० 27.12.22 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

13233 13-14

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, फिरोजाबाद
श्रीमती संगीता बंसल पत्नी स्व० प्रवीण कुमार बंसल, सहायक अभियन्ता, पता 15 गुन्जन कालोनी, मथुरा नगर, फिरोजाबाद
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार फिरोजाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकारी कारपोरेशन)

U.P. Power Corporation Limited

(संयोजित न्यायिक निकाय)

पंजीकृत कार्यालय: २०, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, कानपुर-२०००२३



पत्र सं०

11990

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

03/01/11

कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरविन्द कुमार शुक्ला

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5464	दिनांक 10-10-2011
(ग)	जन्मतिथि		29.12.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शशि बाला शुक्ला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		19.01.1953
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 31,080/- दि० 28.12.2014 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1.60.600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70278
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹	₹ 80,300/- दि० 28.12.2016 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

11990

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी, गोविन्द नगर, कानपुर।

2. श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता-120/274, लाजपत नगर, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर। को प्रेषित पत्रांक दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9742 2003-2004 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: ०४-०१-१९

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बिन्दुवासिनी प्रसाद सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	2666	दिनांक	30-06-2004
(ग) जन्मतिथि			07.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती किरण वर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			14300-18300/37400-67000 (8700)
(घ) वेतन	₹		17,900
(ङ) मूल पेंशन	₹		23050
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		2535
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20515
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		13830
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹		
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका सं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹		1,34,500
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		67250
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		67250
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		2535
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		64715
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		40350
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9742 2003-2004 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2/ श्री बिन्दुवासिनी प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-सी-116/987, माया बाजार घोष कं० चौक, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्राक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3/ अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०या०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7599

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 03.10.1998

कोषाधिकारी कोषागार आजमगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कंचन वर्मा पत्नी स्व० दिग्विजय पारिवारिक सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
प्रताप नारायण वर्मा अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	405 दिनांक 01-01-1998
(ग)	जन्मतिथि	03.10.1938
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कंचन वर्मा,
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकिंत नही
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिगंत तिथि	31-10-1986 / 06-10-2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 (37400-67000 ग्रेड पे 10000)
(घ)	वेतन	19,400
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नही
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नही
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नही
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नही
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	72,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नही
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नही
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नही
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नही
(व)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	72100
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नही
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	43260
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 01.01.16 से 20.06.16 तक 20% अतिरिक्त	लागू नही

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7599

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद्, आजमगढ़

2 श्रीमती कंचन वर्मा पत्नी स्व० दिग्विजय प्रताप नारायण वर्मा पता 196, पम्पु निवास, मो० बदरका सदर आजमगढ़
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, आजमगढ़ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, रावत भवन, लखनऊ।

03/10/98
कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
रावत भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9557

03-04

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 08-01-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, सहारनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मनोहर लाल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2284	दिनांक 09.07.2003
(ग)	जन्मतिथि		05.03.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कुलदीप कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		17-11-1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)	
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	139,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	69550
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66510 दि० 24.09.18 तदुपरान्त 69550 दि० 25.09.18 से अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5567

9557 03-04

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर
श्री मनोहर लाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता द्वारा कुलदीप सिंह, 877 नियर पावर हाउस, वशीपुरा कालोनी, जालंधर
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार सहारनपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9454

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 02-01-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
फैजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2175 दिनांक 10-03-2003	
(ग)	जन्मतिथि	20-09-1944	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मान्ती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-09-2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000(8700)/-	
(घ)	वेतन	₹	16,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2287
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20763
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका से०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	63400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2287
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	61113 दि० 09.06.2018 तक 63400 दि० 10.06.2018 से अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5570

9454

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, फैजाबाद उ०प्र०
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-मकान नै०-7/7/47 ए नई कालोनी लालबाग पोस्ट आफिस लालबाग के पास जिला फैजाबाद (उ०प्र०)।
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार फैजाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करे।
- अधिशायी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7530

96-97

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 08/11/17

कोषाधिकारी,
कोषागार, फैजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री उपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिर्वर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	323	दिनांक 29.08.1997
(ग)	जन्मतिथि		15.09.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती ममता चतुर्वेदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02-06-1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹	18,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	21281
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित 29.11.12
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21281
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		53 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	144,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	72100
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	57899
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित 29.11.12
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

7530 96-97

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद

श्री उपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता मालती सदन, 759 अमानीगंज, आवास विकास कालोनी, फैजाबाद

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार फैजाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN- U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12698

11-12

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 08-01-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, सुल्तानपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

राजेश कुमार

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5556 दिनांक 12.01.2012
(ग)	जन्मतिथि	07.12.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	डा० प्रेमलता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01-07-1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹ 65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	32980 दि० 06.12.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ 0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 171,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 85550 दि० 06.12.18 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5875

12698 11-12

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, सुल्तानपुर
श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता म०न० 1490 बड़ेयाबीर, सिविल लाइन्स नं०-2, सुल्तानपुर
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार सुल्तानपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

08/01/19
लेखाधिकारी (पेंशन)



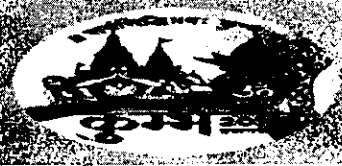
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Under Taking)

Pension CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12385

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 08/01/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, रायबरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री इन्द्र प्रकाश

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6129	दिनांक 09.07.2013
(ग)	जन्मतिथि		16.08.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राजकुमारी चौरसिया
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18648
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	161,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	80650
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68128
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5876

12385 10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, रायबरेली

श्री इन्द्र प्रकाश, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता राज स्वीट के सामने लखनऊ रोड, मोहल्ला छजालपुर, रायबरेली

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार रायबरेली से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

08/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION Cell: U322010P1999SC02492B



पत्र सं०

10544

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- ०६-०६-१९

कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कमलेश शर्मा पत्नी स्व० प्रेम पाल शर्मा सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4210 दिनांक 29.07.2008
(ग)	जन्मतिथि	14.08.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमलेश श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01-10-1963
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2005/11.06.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹ 20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	61 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ 0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 153,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

10544 05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़
- श्रीमती कमलेश शर्मा पत्नी स्व० प्रेम पाल शर्मा, सहायक अभियन्ता, पता-विकास नगर 1/1772 पवन पी०सी०ओ० के पास, एटा चुन्नी, अलीगढ़
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार अलीगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 12051 2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 08.01.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा

सेवानिवृत्त

अधिसासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5917	दिनांक 14-12-2012
(ग)	जन्मतिथि		01.05.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कृष्ण शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.05.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		05.11.19.51
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		40298
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	71.720
(ङ)	मूल पेंशन	₹	35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12372
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23488
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	21516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1.88.200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12372
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जायँ	₹	81728
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 5851 12051 2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा आगरा।
- 2 श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अधिसासी अभियन्ता, पता-एफ-165, कमला नगर, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष तत्पक्ष स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०म०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०म० सरकार का उपक्रम)

UPM Power Corporation Limited

(UP Government Undertaking)

पं. सं. PENSION CIN- 032201UPR1999SGC024928



पत्र सं०

11720

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 05-01-17

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

अधिकांशी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4667	दिनांक 17-11-2009
(ग)	जन्मतिथि		01.11.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अम्बिका श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.11.1955
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	20.000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23428
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1.88.200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	81668
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

11720

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

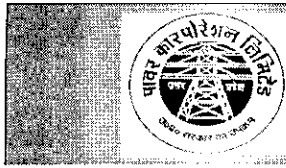
1. अधिकांशी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०म० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अधिकांशी अभियन्ता, पता-अम्बिकाश्रय, के-946, आशियाना कालोनी, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०- / उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

8357/99-2000

दिनांक-११/११/१९.

कोषाधिकारी,
कोषागार, सम्मल।

कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत प्राधिकार पत्र सं०-4570 दिनांक 10.12.2018 को
निरस्त करते हुये निर्गत

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं
तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक
पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1006 08-05-2000
(ग)	जन्मतिथि	15.04-1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उषा अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.01.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-04-2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 10000
(घ)	वेतन	Rs. 21,900.00
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 27,350.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 27,350.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00
(ण)	पेंशन योग्य अहकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,57,600.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 78,800.00
(ख)	पेंशन हेतु अहकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 78,800.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 78,800 पुनर्स्थापित
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.17	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 47,280.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा
संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान
की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार
पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये
जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-5886 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 8357/99-2000

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, चन्दौसी।

2. श्री विनोद कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता- म०न०-बी-73, निचला तल, रामप्रस्त कालोनी, चन्दर नगर, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि
वह कोषाधिकारी, कोषागार, सम्मल से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

रः

**कार्यालय उपमहाप्रबन्धक (लेखा)
केन्द्रीय लेखा कार्यालय (पेंशन अनुभाग)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन विस्तार, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ**

संख्या /उप-महाप्रबन्धक (लेखा)-पेंशन/12978/12-13

दिनांक :

कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

पावर कारपोरेशन के आदेश सं० 1204-पे०एण्डआर०-28/
पाकालि/16-60पी/98-टी०सी०-11 दिनांक 17.12.2016
के अनुपालन में निर्गत।

विषय : श्रीमती गुलजारी देवी पत्नी स्व० दूधनाथ यादव, सहायक लेखाकार (दिवंगत तिथि 07.12.2010) के पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण का प्राधिकार पत्र।

महोदय,

- उपरोक्त पारिवारिक पेंशनर जिन्हें पी०पी०ओ० संख्या 5966 दिनांक 01.02.2013 द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राधिकृत की गयी थी, के पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उपरोक्त कारपोरेशन के आदेश संख्या 1204 दिनांक 17.01.2016 के अनुक्रम में निम्नवत् किया जाता है।
- पूर्व में इस कार्यालय द्वारा प्राधिकृत पारिवारिक पेंशन रू० 14,735/- प्रतिमाह दिनांक 08.12.2010 से 30.06.2017 तक के स्थान पर पारिवारिक पेंशन दिनांक 08.12.2010 से 06.12.2020 तक रू० 14,735/- प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् रू० 8,841/- प्रतिमाह की दर से उनकी मृत्यु अथवा पुनर्विवाह के दिनांक तक, जो भी पहले हो पारिवारिक पेंशन प्राधिकृत की जाती है।

भवदीय,

(मनोज महरोत्रा)
लेखाधिकारी (पेंशन)

संख्या 5987 (1)/उ०म०प्र० (लेखा)-पेंशन/12978/12-13/तददिनांक 3/1/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती गुलजारी देवी पत्नी स्व० दूधनाथ यादव, सहायक लेखाकार, पता 2/17, संजय गॉंधी नगर, प्राग नरायन रोड (बालू अड्डा), लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

(मनोज महरोत्रा)
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11053

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सरदार सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3745	दिनांक 18-09-2006
(ग)	जन्मतिथि		12.11.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कमलेश
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		20.08.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4560
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19735
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4560
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	64990
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5888

11053

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 9/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा आगरा।

2. श्री सरदार सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-20 सुदामाबाग कालोनी, दयालबाग, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा। को प्रेषित पत्रांक दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लेखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7739

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी कोषागार फतेहगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कमला देवी गंगवार पत्नी स्व० पारिवारिक सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
सुग्रीव सिंह ग्रमवार अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	392 दिनांक 15-12-1997
(ग)	जन्मतिथि	31.12.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमला देवी गंगवार
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	20-01-1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ)	वेतन	17,300
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	65,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

5883

7739

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 3/1/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, फतेहगढ़
2. श्रीमती कमला देवी गंगवार पत्नी स्व० श्री सुग्रीव सिंह गंगवार सहायक अभियन्ता पता मकान न०. 2 लालबाग कालोनी, फर्रुखाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, फतेहगढ़ स्थापित कर भुगतान प्राप्ता करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

1/3/19
02/01/19
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Public Undertaking)

PENSION CODE 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7469

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजीपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी स्व० तेज सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	152 दिनांक 27.09.1996
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती दुर्गावती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	07-04-1995
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	3400-4750/10650-15200/15600-39100 ग्रेड पे 6600
(घ)	वेतन	₹ 4,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5195
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	56 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ लागू नहीं
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 80,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 40450
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 24270
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5795

7469 96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक 31/1/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजीपुर

श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी स्व० तेज बहादुर राय, पता 18, राय कालोनी, स्टेशन रोड, गाजीपुर

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गाजीपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)

UPPCL Power Corporation Limited
(A Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN-032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10521

05-06

उपरो/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश कुमार राठौर

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	3233	दिनांक 01.04.2013
(ग)	जन्मतिथि		25.06.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विनीता राठौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)	
(घ)	वेतन	₹	18,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3420
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23930
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410

(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियों	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
-----	--	---------------	--

(ख)	निर्धारित वेतन	₹	144,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं

(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं

(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
-----	---	---	-----------

(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
--------	--	---	-----------

(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	72100
-----	---	---	-------

(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3420
-----	---------------	---	------

(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68680
-----	---	---	-------

(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
-----	----------------------------------	---	-----------

(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	43260
-----	--------------------------------	---	-------

(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं
-----	--------------------------------	---	-----------

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

5898

10521 05-06

उपरो/लेखा/पेंशन/तददिनांक 3/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़
- श्री सुरेश कुमार राठौर, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता म०न० 429 से 90 सिकन्दरा आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा आगरा
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार अलीगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7638

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार, बुलन्दशहर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुमन लता पत्नी स्व० खजान सिंह सेवानिवृत्त

अधिकासी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	295 दिनांक 03.07.1997
(ग)	जन्मतिथि	17.12.1964
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुमन लता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	17.12.1964
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	22.10.1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	0
(घ)	वेतन	₹ 12,600
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 8543

(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	22 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ 0

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 78,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 39250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 23550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5897

7638 97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक 9/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर
- श्रीमती सुमन लता पत्नी स्व० खजान सिंह, अधिकासी अभियन्ता पता द्वारा श्री जसवन्त सिंह, रिटायर्ड जिला जज, म०न० एस०एफ०एस०22 आवास विकास कालोनी, डी०एम० नगर, बुलन्दशहर
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार बुलन्दशहर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7513

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार, मुजफ्फरनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुमित्रा लाल पत्नी स्व० बी०एम० लाल सेवानिवृत्त

अधिशाली अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	239 दिनांक 20.03.1997
(ग)	जन्मतिथि	01.10.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुमित्रा लाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	23.04.1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे (8900)
(घ)	वेतन	₹ 18,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 12340
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	44 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ 0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 135,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5698

7513 96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक 31/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर
- श्री सुमित्रा लाल पत्नी स्व० बी०एम० लाल, अधिशाली अभियन्ता पता 31/63 साउथ सिविल लाईन्स, मुजफ्फरनगर
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार मुजफ्फरनगर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN:U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11888

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार, गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री संकटा प्रसाद सिन्हा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4790	दिनांक 26.02.2010
(ग)	जन्मतिथि		01.12.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मंजू सिन्हा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01-11-1952
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	161,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5901

11888 09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक 21/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर

श्री संकटा प्रसाद सिन्हा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता म०न० 331 जी, राजेन्द्र नगर पश्चिमी, पो० गोरखनाथ, गोरखपुर-273015

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गोरखपुर से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: H32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7165

1993-1994

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शारदा वार्ष्णेय पत्नी स्व० गौरीशंकर वार्ष्णेय

सेवानिवृत्त

अधिकाारी

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

164

दिनांक

14-10-1996

(ग) जन्मतिथि

08.06.1936

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती शारदा वार्ष्णेय

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

18.10.1943

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.06.1994/09.10.2006

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चतुर्थ वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

37400-67000/4250-5600 (8700)

(घ) वेतन

₹

5,600

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

6826

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

63 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

12 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,26,800

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

38040

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5902

7165

1993-1994

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक 3/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकाारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।

2. श्री शारदा वार्ष्णेय पत्नी स्व० गौरीशंकर वार्ष्णेय, सेवानिवृत्त अधिकाारी अभियन्ता, पता-92 आवास विकास कालोनी, जेल रोड, अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुतासिल प्राप्त करें।

3

अधिकाारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

Pension CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9006

01-02

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री महेश चन्द्र गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

1783

दिनांक

11.04.2002

(ग) जन्मतिथि

12.11.1943

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती प्रमिला गुप्ता

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

13-11-1951

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.11.2001

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)

(घ) वेतन

₹

20,000

(ङ) मूल पेंशन

₹

24295

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

3027

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

21268

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

14577=214730

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

0

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

139,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

69550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

69550

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

3027

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

66523 दि० 10.07.17 तक तदुपरान्त 69550

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

41730

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5905

9006 01-02

उपग्रो/लेखा/पेंशन/तददिनांक 31/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

श्री महेश चन्द्र गुप्ता, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता डी-158ए, पटेल नगर-द्वितीय, गाजियाबाद

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार

गाजियाबाद

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश गुप्ता

लेखाधिकारी (पेंशन)

30.07.2018
लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9597

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार, बहराइच

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मोईनुद्दीन खॉं

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2327	दिनांक	22.08.2003
(ग)	जन्मतिथि			07.01.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती तौहीद फातिमा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)	
(घ)	वेतन	₹		20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹		24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14577

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

0

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

139,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

69550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

69550

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

3040

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

66510 दि० 01.01.16 से 21.08.18 तक तदुपरान्त 69550

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

41730

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5901

9597 03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक 9/1/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बहराइच

श्री मोईनुद्दीन खॉं, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता मो० बड़ी हाट निकट अक्व मान्देशरी स्कूल, बहराइच

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार बहराइच

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उत्प्रेषण अधिकारी (पेंशन) कोषागार, बहराइच



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8204

1999-2000 उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

कोषाधिकारी कोषागार सोनभद्र

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री त्रिलोक नाथ

अधिवर्षता

अधिशाली

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1205 दिनांक 09-11-2000	
(ग)	जन्मतिथि	15.11.1938	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गीता देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		07.07.1937
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-11-1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 (37400-67000 ग्रेड पे 10000)	
(घ)	वेतन		18,900
(ङ)	मूल पेंशन		27,350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		2582
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	24768 दिनांक 08.02.2016 तक तदुपरान्त 27350	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	14
(ख)	निर्धारित वेतन		1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		72,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		72,100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	2582 पुनर्स्थापित दिनांक 09.02.2016	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	69518 दिनांक 08.02.2016 तक तदुपरान्त 72100 09.02.2016 से 14.11.2018 तक	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 80 वर्ष पूर्ण होने पर 20 % (72100 + 14420)		86520 पुनर्स्थापित 15.11.2018

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5911

8204

1999-2000 उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 3/1/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता जल विद्युत सयंत्र खण्ड, उ०प्र० उत्पादन निगम लि०, ओबरा सोनभद्र
2. श्री त्रिलोक नाथ से०नि० अधिशाली अभियन्ता, पता एफ-09, एडटी 65, ओबरा सोनभद्र
3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, सोनभद्र स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7758

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार, बहराइच

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम चन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिदर्शता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	508 दिनांक 22.07.1998
(ग)	जन्मतिथि	30.01.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रमावती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.02.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेडपे 8900
(घ)	वेतन	₹ 18,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295 up to 14.05.2015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 24,295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14,577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 67,500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 67,500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40,500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

5914

7758 97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक 3/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, बहराइच
- श्री राम चन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता-मो० कानूनगोपुरा (दक्षिणी), निकट पत्थर शिवाला, बहराइच को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार बहराइच को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान करें।

- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

09/01/19
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024228



पत्र सं०

10556

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी,

बहराइच

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मंसूर अहमद खान

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3335	दिनांक 19-12-2005
(ग)	जन्मतिथि		19.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सबरून निशा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.07.1946
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295 से दि० 14.05.2015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5915

10556

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 31/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बहराइच।

श्री मंसूर अहमद खान, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०नं०-268, पुलिस लाइन रोड, पुलिस अधीक्षक निवास के सामने, बहराइच।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

बहराइच

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुयेकान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Public Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7528

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

कोषाधिकारी आदर्श कोषागार
लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव कुमार श्रीवास्तव

अधिवर्षता

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

298 दिनांक 08-07-1997

(ग) जन्मतिथि

20.01.1939

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती चन्द्र कान्ता श्रीवास्तव

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

08.10.1950

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31-01-1997

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पाचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

4250-5600/14300-18300 (37400-67000) GP 8700

(घ) वेतन

15,500

(ङ) मूल पेंशन

22,701

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

पुनर्स्थापित 01.08.2012

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

22701

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

13830

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

65 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

तालिका संख्या

12

(ख) निर्धारित वेतन

1,23,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

61,550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

61550×65/66 = 60618

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

61550

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

61,550

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

61550

(ङ) राशिकृत पेंशन

पुनर्स्थापित 01.08.2012

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

61550

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

36930

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

73860 दिनांक 20.01.2019 से

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

5919

7528

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 9/1/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री शिव कुमार श्रीवास्तव, से०नि० सहायक अभियन्ता, पता 14/146 इन्दिरा नगर, लखनऊ

3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

9/1/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

5368

84-85

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निगित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी स्व० रघुवीर सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता/पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

9040

दिनांक

14.10.1998

(ग) जन्मतिथि

01.01.1941

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती सुरजीत कौर

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.01.1941

2 (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.12.1984

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

तृतीय वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

2600-4000/13600-39100 ग्रेडपे 5400

(घ) वेतन

₹

3,400

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

6,393

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

0

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

10 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

67,000

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

0

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

20,100

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

5920

5368 84-85

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

9/1/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2. श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी स्व० रघुवीर सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता 187 मालीवारा, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7900

98-99

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी कोषागार मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निगित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय प्रकाश

अधिवर्षता

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	558 दिनांक 12-11-1998	
(ग)	जन्मतिथि	29.09.1940	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मीना प्रकाश
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-09-1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400	
(घ)	वेतन		21,400
(ङ)	मूल पेंशन		27,350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		02.12.2013 से पुनर्स्थापित
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	14
(ख)	निर्धारित वेतन		1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		76,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		02.12.2013 से पुनर्स्थापित
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 01.01.16 से 20.06.16 तक 20% अतिरिक्त		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

5921

7900

98-99

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 9/1/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ
- श्री विजय प्रकाश से०नि० मुख्य अभियन्ता 94, प्रेम प्रयाग कालोनी गड्डड रोड, मेरठ
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मेरठ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशायी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(हस्ताक्षर)
08/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9585

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पतियार राम

अधिवर्षता

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3449 दिनांक 25-02-2006	
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1945	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती लाल मनी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-06-2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचया वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000 ग्रेड पे 8900)	
(घ)	वेतन		20,000
(ङ)	मूल पेंशन		24,059
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		2979
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		21080
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 13	
(ख)	निर्धारित वेतन		1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन		2979
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	66571 दिनांक 25.05.2021 तक तदुपरान्त 69550	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

5926

9585

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक 9/1/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल, विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा वाराणसी
- श्री पतियार राम, से०नि० सहायक अभियन्ता, पता द्वारा श्री आर०बी० लाल, म०न०-602, हुसैनाबाद, जौनपुर
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लेखनरू।

लेखाधिकारी (पेंशन)
09/01/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13748

15-16

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार, आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नत्थी लाल बंसल

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6855	दिनांक 02.09.2015
(ग)	जन्मतिथि		15.04.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राधा रानी बंसल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01-01-1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (8700)
(घ)	वेतन	₹	55,080
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27540
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11016
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	16524
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		27540 दि० 14.04.2020 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16524
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	142,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	71350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	71350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11016
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	60334
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	71350 दि० 14.04.2022 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	42810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5928

13748 15-16

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक 21/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा
- श्री नत्थी लाल बंसल, लेखाकार सेवानिवृत्त पता 21 रोशन बाग, हीरा बाग रोड, निकट टैगोर नगर गणेश मन्दिर, दयाल बाग, आगरा
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार आगरा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3 अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

PENSION CINSU-220/UP/1995/GC/024928



पत्र सं०

6041

86-87

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सरला देवी अग्रवाल पत्नी स्व० सेवानिवृत्त लक्ष्मन मूर्ति गुप्ता

अधिशाली अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6310 दिनांक 02.02.1988
(ग)	जन्मतिथि	09.09.1928
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरला देवी अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	21-02-1938
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.1986
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 5,150
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830

(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियों
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ 0

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 123,100

4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
----	--	-------------

(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं

(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
-----	---	-------------

(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 0
--------	--	-----

(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
-----	---	-------------

(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
-----	---------------	-------------

(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
-----	---	-------------

(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
-----	----------------------------------	-------------

(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930
-----	--------------------------------	---------

(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 80 वर्ष पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन 7386 दि० 21.02.18 से
-----	--------------------------------	--

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5523

6041 86-87

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक 9/1/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद
- श्रीमती सरला देवी अग्रवाल पत्नी स्व० लक्ष्मन मूर्ति गुप्ता, अधिशाली अभियन्ता पता एस०ए०-24, शास्त्री नगर, गाजियाबाद
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10508

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार, आजमगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती विमल श्रीवास्तव पत्नी स्व० अशोक सेवानिवृत्त कुमार श्रीवास्तव

अधिकासी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता/पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3359 दिनांक 23.12.2005
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विमल श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	29.07.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2005/26.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेडपे 10000
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15,188
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ -
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48,690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5930

10508 05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

31/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आजमगढ़
2. श्रीमती विमल श्रीवास्तव पत्नी स्व० अशोक कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त, पता-प/200, आराजी बाग, आजमगढ़-276001

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार

आजमगढ़

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3. अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(A Government Undertaking)

पैन पंशन CIN: U32201UP1099SGC02492B



पत्र सं०

10511

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री महेन्द्र सिंह गुप्ता

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3264	दिनांक 30.09.2005
(ग)	जन्मतिथि		02.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मंजू गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		12-12-1951
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	25693
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	5636
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20057
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		62 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	162,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	76232
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	0
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	72100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	76232
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	5636
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70596
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5931

10511 05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक 9/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद
श्री महेन्द्र सिंह गुप्ता, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक पता 4/41 सेक्टर-5, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

महोदय महरोत्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

PENSION/IN/102201UP/09SGC024928



पत्र सं०

10502

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शमा परवीन नकवी पत्नी स्व० मोहम्मद अली

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

3277

दिनांक

30.09.2005

(ग) जन्मतिथि

1/0/1900

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती शमा परवीन नकवी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01-12-1950

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.08.2005 / 17.03.2006

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

10650-15200 / 15600-39100 / 37400-67000 ग्रेड पे 6600

(घ) वेतन

₹

13,900

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

9425

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

0

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

11 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

85,800

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

0

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

25740

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5933

10502 05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक 31/1/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़

श्रीमती शमा परवीन नकवी पत्नी स्व० मोहम्मद अली पता द्वारा श्री हैदर रजा नकवी, मकान नं० 905 गली नं० 12, हैदर मैसेज प्लॉट, जीवन गढ़, अलीगढ़

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार

अलीगढ़

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Uttar Pradesh Power Corporation Limited

(Uttar Pradesh Government Undertaking)

निर्माण संख्या/पत्रांक 18/2201/UPP/999/SG/024928



पत्र सं०

10173

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

इलाहाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण कान्त वर्मा

सेवानिवृत्त

मुख्य महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2995 दिनांक 29-01-2005
(ग)	जन्मतिथि	10.09.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.03.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 22,925
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4398
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 27102
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	रुम्बे
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ -

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,81,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 90900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 90900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4398
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 86502
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 18.12.18	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54540
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5934

10173

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 3/1/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
- श्री कृष्ण कान्त वर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक, पता-एच-8, तृतीय तल लोटस अपार्टमेन्ट्स 39, ताशकन्द मार्ग, इलाहाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार, इलाहाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक

के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-.....उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

8344/99-2000

दिनांक

2018

कोषाधिकारी,

इस कार्यालय द्वारा निर्गत पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र संख्या 3790 दिनांक 02.11.18 को निरस्त करते हुए निर्गत कोषागार, आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री राम प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1610	03.11.2001
(ग)	जन्मतिथि	28.07.1941	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चन्द्रकान्ता त्यागी	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.10.1946	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.99	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000 GP 8900	
(घ)	वेतन	Rs. 18,650.00	
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 24,295.00	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	पुर्नस्थापित	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 24,295.00	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13	
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 135,000.00	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 67,500.00	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A	
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 67,500.00	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	पुर्नस्थापित	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	Rs. 67,500.00	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 40,500.00	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दि० 30.07.17 से	N/A	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-5935 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/ 8344/99-2000

तददिनांक 9/1/18

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- श्री राम प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता-5/208-3ए, न्यू राम नगर, शाहगंज, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, आगरा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

नमो

रामप्रसाद

30/12/2017

11/1/2018



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

संस्थापित ०१/०१/१९६०



पत्र सं०

13615

2014-2015

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामाश्रय यादव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6656	दिनांक 08-12-2014
(ग)	जन्मतिथि		09.09.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विमला यादव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		25.08.1962
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	72,060
(ङ)	मूल पेंशन	₹	36030
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14412
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21618
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 36030/- दि० 08.09.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	21618
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,86,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	93450
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	93450
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14412
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	79038
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹	₹ 93450/- दि० 08.09.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56070
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

5938

13615

2014-2015

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 31/1/18

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहर्दपुर, गोरखपुर।

श्री रामाश्रय यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०नं०-053 के, मुहल्ला-रसूलपुर, इन्दिरा नगर, दक्षिणी निकट सरमाउण्ट इन्टरनेशनल स्कूल सीनियर विंग (गोपालपुर)।

2 पो०-शिवपुरी नयी कालोनी, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

गोरखपुर।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9112

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अवधेश मणि त्रिपाठी

सेवानिवृत्त

मुख्य
महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1954 दिनांक 27-08-2002	
(ग)	जन्मतिथि	06-06-1944	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उषा त्रिपाठी	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-06-2002	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	21350-23975 / 63000-78000	
(घ)	वेतन	₹	23,450
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4648
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	26852
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	7035
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,87,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	93650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	93650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4648
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	89002 दि०-27.11.2017 तक तदुपरान्त 93650
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56190
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) का 20%	₹	लागू नहीं
	67500=13500		

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

5939

9112

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 9/11/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पेंशन वितरण अधिकारी एवम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।

श्री अवधेश मणि त्रिपाठी, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक (लेसा), उत्कर्षिणी, बी-151, बूज इनक्लेव सुन्दरपुर, वाराणसी।

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

वाराणसी

वाराणसी

से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7500

1996-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी कोषागार जौनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती ऊषा रानी श्रीवास्तव पत्नी स्व० प्रेम चन्द्र श्रीवास्तव पारिवारिक अधिशासी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	161 दिनांक 08-10-1996
(ग)	जन्मतिथि	16.07.1938
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ऊषा रानी श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	30.01.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-07-1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेड पे 8700)
(घ)	वेतन	16,700
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	11323
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11. 04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	12
(ख)	निर्धारित वेतन		1,30,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		65,300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		39180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

5940

7500

1996-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 9/1/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, जौनपुर
2. श्रीमती ऊषा रानी श्रीवास्तव, पत्नी स्व० प्रेम चन्द्र श्रीवास्तव, पता 102 सी हुसैनाबाद जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, जौनपुर में स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Public Enterprise Under Planning)

Pension (NMA) 2201UP1999SG024928



पत्र सं०

10519

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

कोषाधिकारी,

कोषागार, आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री इकबाल सिंह

सेवानिवृत्त

अधिशाली अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3841	दिनांक 23.11.2006
(ग)	जन्मतिथि		17.08.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती दपिन्दर कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		18.09.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000, ग्रेड पे 10000	
(घ)	वेतन	₹	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24035
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	5220
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18815
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		58 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	162,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	71314
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	(1 प्रतिशत दण्ड के बाद) 70379
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	5220
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66159
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 5943

10519 05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक 9/1/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा
श्री इकबाल सिंह, अधिशाली अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 12 एम०आई०जी०, न्यू शाहगंज, आगरा
2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार आगरा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान करें।
3. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)